# अध्याय-VIII: आर्थिक क्षेत्र की अनुपालना लेखापरीक्षा

## 8.1 परिचय

### 8.1.1 लेखापरीक्षा की रूपरेखा

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा आर्थिक क्षेत्र के बारह विभागों[1] के खर्चों की लेखापरीक्षा की जाती है। इन विभागों का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य शासन सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों द्वारा किया जाता हैं, जिनकी सहायता आयुक्तों/उप शासन सचिवों एवं अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा की जाती है। इस अध्याय में नौ विभागों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्ष समाहित है। पर्यटन, ऊर्जा एवं उद्योग विभाग से सम्बन्धित लेखापरीक्षा टिप्पणियां राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर सीएजी के प्रतिवेदन में शामिल है ।

राजस्थान सरकार के वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश नीचे तालिका में दिया गया है:

**तालिका: वर्ष 2017-19 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश**

(₹ करोड़ों में)

| प्राप्तियां | | | संवितरण | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017-18 | 2018-19 | | 2017-18 | 2018-19 |
| **अनुभाग-अ: राजस्व खाते** | | | | | |
| कर राजस्व | 50,605.41 | 57,380.34 | सामान्य सेवायें | 43,450.36 | 54,364.06 |
| कर-भिन्न राजस्व | 15,733.72 | 18,603.01 | सामाजिक सेवायें | 53,064.07 | 65,686.92 |
| संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा | 37,028.01 | 41,852.35 | आर्थिक सेवायें | 49,326.98 | 46,722.12 |
| भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान | 23,940.04 | 20,037.32 | सहायतार्थ-अनुदान एवं अंशदान | 0.11 | 0.09 |
| **योग अनुभाग-अ राजस्व प्राप्तियां** | **1,27,307.18** | **1,37,873.02** | **योग अनुभाग-अ राजस्व व्यय** | **1,45,841.52** | **1,66,773.19** |
| **अनुभाग-ब: पूंजीगत खाते एवं अन्य** | | | | | |
| विविध पूंजीगत प्राप्तियां | 16.61 | 20.13 | पूंजीगत परिव्यय | 20,623.28 | 19,638.20 |
| कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां | 15,133.41 | 15,158.41 | संवितरित कर्जे तथा अग्रिम | 1,334.02 | 1,113.09 |
| लोक ऋण प्राप्तियां* | 28,556.57 | 37,846.82 | लोक ऋण की पुनर्अदायगी* | 11,673.66 | 16,914.80 |
| आकस्मिकता निधि | - | - | आकस्मिकता निधि | - | - |
| लोक लेखा प्राप्तियां# | 1,56,811.26 | 1,70,527.88 | लोक लेखा संवितरण# | 1,47,088.02 | 1,60,570.22 |
| प्रारम्भिक रोकड़ शेष | 8,112.46 | 9,376.99 | अंतिम रोकड़ शेष | 9,376.99 | 5,793.75 |
| **योग अनुभाग-ब प्राप्तियां** | **2,08,630.31** | **2,32,930.23** | **योग अनुभाग-ब संवितरण** | **1,90,095.97** | **2,04,030.06** |
| **कुल योग (अ+ब)** | **3,35,937.49** | **3,70,803.25** | **कुल योग (अ+ब)** | **3,35,937.49** | **3,70,803.25** |

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

* मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल संव्यवहारों को छोड़कर

# लोक लेखा प्राप्तियां/संवितरण की राशि तालिका में सकल आधार पर दर्शायी गई है ।

[1] लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, वन, सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, भूजल, पर्यावरण विभाग, पर्यटन, ऊर्जा तथा उद्योग।

### 8.1.2 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से ली गई है।

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों को शामिल करते हुए आर्थिक क्षेत्र के विभागों के व्ययों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाओं की शर्तें) अधिनियम, 1971 तथा इसके अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम, 2007 के अन्तर्गत की जाती है। निष्पादन एवं अनुपालना लेखापरीक्षा के लिए सिद्धांत एवं विधियां, सीएजी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं नियम पुस्तिकाओं में निर्दिष्ट की गई हैं।

### 8.1.3 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया की शुरूआत सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों/स्वायत्तशासी निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि के कार्यकलापों के जोखिम के आंकलन से होती है। जोखिम आंकलन व्यय की मात्रा, गतिविधियों के महत्व, समग्र आंतरिक नियंत्रणों की स्थिति एवं भागीदारों की अपेक्षाओं पर आधारित है। इस प्रक्रिया में गत लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते हैं। 2018-19 के दौरान, आर्थिक क्षेत्र-II लेखापरीक्षा समूह में, 256 इकाइयों के लेखापरीक्षा करने के लिए 1699 लेखापरीक्षा दल-दिनों का उपयोग किया गया था। इसके अलावा, 201 लेखापरीक्षा दल-दिनों का उपयोग एक विषयगत लेखापरीक्षा के संचालन करने के लिए किया गया। मार्च 2019 तक आर्थिक क्षेत्र के तहत नौ विभागों की 2680 निरीक्षण प्रतिवेदन (11248 अनुच्छेद) बकाया थे।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरान्त, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुए इकाई के प्रमुख को एक निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है। इकाइयों से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर उत्तर प्रेषित करने हेतु निवेदन किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटारा कर लिया जाता है या अनुपालना के लिए अग्रेतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर किये गये मुख्य लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है।

### 8.1.4 लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

इस अध्याय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कार्यप्रणाली पर अनुपालन लेखापरीक्षा और पाँच एकल अनुच्छेद शामिल हैं। मुख्य बिन्दु निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिए गए हैं:

***विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की कार्यप्रणाली***

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (विभाग) की स्थापना 1983 में समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने एवं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान के लाभों का उपयोग करके जनता के सामाजिक आर्थिक स्थिति और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के उद्देश्य से की गई थी।

नियमित गतिविधियों जैसे विज्ञान दिवस का आयोजन, विज्ञान क्लब का आयोजन, बच्चों का विज्ञान सम्मेलन, विज्ञान गतिविधियों का लोकप्रियकरण और संचार, उद्यमशीलता जागरूकता शिविर, बौद्धिक पेटेंट शिविर और अन्य विभिन्न सेमिनार/सम्मेलन विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। विभाग की लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआः

- विभाग वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि आवंटित बजट का केवल 45.65 प्रतिशत का उपयोग किया गया, सैटकॉम डिवीजन की विभिन्न परियोजनाओं के लिए राज्य योजना शीर्ष के तहत आवंटित पूरे बजट को 2015-16 से 2018-19 के दौरान समर्पित कर दिया गया।
- विभाग के पास विभागीय नियमावली नहीं है। जैव-प्रौद्योगिकी नीति 2015 को छोड़कर कोई व्यापक नीति (दीर्घकालिक/अल्पकालिक) और मार्गदर्शक सिद्धांत विभाग द्वारा तैयार नहीं किए गए; और इस नीति के उद्देश्यों को भी प्राप्त नहीं किया जा सका। विभाग ने उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण/अध्ययन नहीं किया है जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग राज्य के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
- विभाग जोधपुर में जैव-प्रौद्योगिकी और मेडिकल जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र, जयपुर में नैनो-प्रौद्योगिकी केन्द्र का संचालन नहीं कर सका और सैटकॉम कोचिंग योजना और विज्ञान क्लब के तहत प्रगति न्यूनतम थी। विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर थी क्योंकि विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदान में से विभिन्न संस्थानों/विभाग द्वारा सृजित परिसंपत्तियों के सम्बन्ध में समेकित डेटा उपलब्ध नहीं था तथा समयबद्ध रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए। मानव संसाधन प्रबन्धन को सुव्यवस्थित नहीं किया गया क्योंकि विभाग की स्थापना के 36 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी कैडर नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है और तकनीकी पदों पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की जा रही है।
- विभाग ने 2016-19 के दौरान भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के तहत आवंटित ₹ 29.93 करोड़ समर्पित किए। विभाग में व्याप्त कमजोर दक्षता मानकों को देखते हुए, जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये के अनुदान का समर्पण हुआ हैं, वास्तव में शुरू हुई कुछ परियोजनाओं की गैर-निगरानी और उपयोगकर्ता विभाग के साथ समन्वय की कमी के परिप्रेक्ष्य में विभाग के अस्तित्व को बनाए रखने के औचित्य की समीक्षा की आवश्यकता है ।

इन निष्कर्षों के आधार पर, हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग को लम्बी अवधि की नीतियों और इसमें दिए गए अधिदेश क्रियान्विति की प्रक्रिया को शामिल करने के लिए एक व्यापक मैनुअल तैयार करना चाहिए । विभाग को अध्ययन/सर्वेक्षण करना चाहिए ताकि विशिष्ट समस्याओं की पहचान की जा सके और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए किया जा सके । विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुदान का उपयोग उचित और समयबद्ध तरीके से किया जाए । विभाग कैडर नियमों को प्राथमिकता पर तैयार करना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती स्थायी आधार पर की जा सके और विभाग की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू और मॉनीटर किया जा सके । विभाग को विद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षा की स्थिति का

मूल्यांकन करना चाहिए एवं विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा विभाग के साथ समन्वय कर एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।

(***अनुच्छेद 8.2***)

**लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग**

लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग ने मूल्य वृद्धि क्लॉज के तहत उचित समायोजन सुनिश्चित किए बिना अंतिम बिल पारित किए, गलत थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्षों पर आधारित मूल्यवृद्धि दावों की गणना एवं भुगतान और वित्तीय बोली खोलने की तिथि को आधार तिथि मानने की बजाए गलत तरीके से तकनीकी बोली खोलने की तिथि को आधार तिथि माना जिसके परिणामस्वरूप संवेदकों को अधिक भुगतान किया।

(***अनुच्छेद 8.3***)

योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, लोक निर्माण विभाग ने मानक से अधिक चौड़ाई, मोटाई के साथ बिना राज्य तकनीकी एजेंसी से डिजाइन प्राप्त किए और सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किये उन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जिनमें ग्रामीण गौरव पथ योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्माण की अनुमति नहीं थी।

(***अनुच्छेद 8.4)***

लोक निर्माण विभाग द्वारा सशर्त प्रस्तावों पर और उन अयोग्य निविदादाताओं को जिन्होंने उचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये थे, अनियमित रूप से कार्य आवंटित किए गए।

(***अनुच्छेद 8.5***)

लोक निर्माण विभाग ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रामगढ़ पचवारा से कंवरपुरा रोड़ पर गलत श्रृंखला में फ्लश कॉजवे (flush causeway) के निर्माण पर ₹ 1.22 करोड़ का निष्फल व्यय किया, जिसके परिणामस्वरूप, बारिश के दौरान सड़क का 800 मीटर हिस्सा बह गया।

(***अनुच्छेद 8.6***)

लोक निर्माण विभाग द्वारा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के उल्लंघन में एक संवेदक को ₹ 0.78 करोड़ का भुगतान कार्य आदेश देने के एक सप्ताह के भीतर किया गया। कार्य, तथापि, कार्यादेश के एक वर्ष के बाद शुरू किया गया था।

(***अनुच्छेद 8.7***)

### 8.1.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये है, पर व्याख्यात्मक नोट्स, प्रतिवेदन के विधान सभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा

करवाकर जनलेखा समिति को प्रस्तुत किये जाये । वर्ष 2017-18 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान-मण्डल में 6 मार्च 2020 को प्रस्तुत किया गया जिसकी निष्पादन लेखापरीक्षा/ अनुच्छदों पर व्याख्यात्मक नोट 5 जून 2020 को लम्बित होंगे ।

***जन लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की चर्चा***

31 मार्च 2020 तक जन लेखा समिति (पीएसी) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) में सम्मिलित होने वाले अनुच्छेद/निष्पादन लेखापरीक्षा की चर्चा की स्थिति निम्नानुसार हैः

**लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित एवं चर्चा किये गये अनुच्छेद/निष्पादन लेखापरीक्षा**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि | निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुच्छेदों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | लेखापरीक्षा में सम्मिलित | | चर्चा किये गये अनुच्छेद | |
| | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुच्छेद | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुच्छेद |
| 2016-17 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| 2017-18 | 2 | 7 | - | - |

2015-16 तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) में सम्मिलित हुए निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुच्छेदों पर चर्चा पूरी हो चुकी है ।

## विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

## 8.2 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कार्यप्रणाली

### 8.2.1 प्रस्तावना

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (विभाग) की स्थापना वर्ष 1983 में समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लाभों का प्रयोग करते हुए विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में एवं समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से की गई थी । नियमित गतिविधियों जैसे विज्ञान दिवस का आयोजन, विज्ञान क्लब का आयोजन, बच्चों का विज्ञान सम्मेलन, विज्ञान गतिविधियों का लोकप्रियकरण और संचार, उद्यमशीलता जागरूकता शिविर, बौद्धिक पेटेंट शिविर और अन्य विभिन्न सेमिनार/सम्मेलन विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं ।

### 8.2.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य स्तर पर, प्रमुख शासन सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक मुखिया है । विभाग स्तर पर, निदेशक, प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रकरणों के लिए, विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं । अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय है तथा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख, परियोजना अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी होता है । इसके अतिरिक्त राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केन्द्र (सरसैक), जोधपुर तथा क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र एवं विज्ञान पार्क, जयपुर भी सम्बन्धित परियोजना निदेशक (पीडी) के अन्तर्गत कार्य कर रहे है । विशिष्ट कार्यक्रमों/गतिविधियों[2] का संचालन निदेशालय में कार्यरत परियोजना निदेशकों

[2] जैसे स्टार्ट-अप बूट क्लब, कृत्रिम गर्भाधान, सैटकॉम कोचिंग सेन्टर, आदि।

द्वारा किया जाता है । इसके अतिरिक्त, परियोजना अधिकारी, उपग्रह संचार (सैटकॉम) केन्द्र जयपुर निदेशक को रिपोर्ट करता है ।

### 8.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्न का आंकलन करना था:

- विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं/गतिविधियों की योजना बनाने की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता ।
- विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं/गतिविधियों के कार्यान्वयन में प्रभावशीलता ।
- प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) एवं निगरानी प्रणाली की प्रभावशीलता ।

### 8.2.4 लेखापरीक्षा के मानदंड

- राजस्थान कार्य संचालन नियम 2005;
- राजस्थान सरकार के राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013;
- सामान्य वित्तीय और लेखा नियम;
- विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को लागू करने हेतु विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश;
- राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र और आदेश ।

### 8.2.5 लेखापरीक्षा व्याप्ति

लेखा अवधि 2016-17 से 2018-19 की लेखापरीक्षा जनवरी से जून 2019 के दौरान की गई । निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर के साथ ही पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों[3] की लेखापरीक्षा की गई । परियोजना निदेशक, राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केन्द्र (सरसैक), जोधपुर, परियोजना अधिकारी, क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र एवं विज्ञान पार्क, जयपुर तथा परियोजना अधिकारी, सैटकॉम केन्द्र, जयपुर के कार्यालयों के अभिलेखों की भी जांच की गई । इसके अतिरिक्त, 14 में से सात स्वण्डों[4] के तहत लागू प्रमुख योजनाओं की लेखापरीक्षा निदेशक कार्यालय के साथ ही सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों में भी की गई । 31 जनवरी 2019 को तत्कालीन आयुक्त[5] के साथ परिचयात्मक चर्चा (Entry Conference) आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई । 27 अगस्त 2019 को विषयक आधारित अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा करने हेतु समापन चर्चा (Exit Conference) आयोजित की गई ।

### 8.2.6 वित्तीय संसाधन

राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत स्वीकृत पदों हेतु केंद्रीय प्रवर्तित योजना (सीएसएस) में केंद्रीय अनुदान/सहायता के रूप में राज्य के बजट

[3] अजमेर (मु. जयपुर), कोटा, जोधपुर, उदयपुर, और बीकानेर ।

[4] विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सरसैक, विज्ञान एवं समाज, विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण, जैव प्रौद्योगिकी, उद्यमिता विकास कार्यक्रम तथा अनुसंधान एवं विकास ।

[5] विभाग प्रमुख का पदनाम पद धारण करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता पर निर्भर करता है ।

के साथ-साथ भारत सरकार से वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं । वर्ष 2016-19 के दौरान विभाग द्वारा 26 वैज्ञानिक योजनाएं/परियोजनाएं[6] संचालित की गई ।

विगत तीन वर्षों का आवंटन और व्यय निम्न प्रकार था:

**(₹ करोड़ों में)**

| वर्ष | आयोजना | | आयोजना भिन्न | | केंद्रीय प्रवर्तित योजना | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय |
| 2016-17 | 35.52 | 12.48 | 5.55 | 4.64 | आयोजना में सम्मिलित | | 41.07 | 17.12 |
| 2017-18 | 27.53 | 14.26 | 5.49 | 5.08 | 2.10 | 1.18 | 35.12 | 20.52 |
| 2018-19 | 30.44 | 6.80 | 6.36 | 6.03 | 1.86* | 1.96 | 38.66 | 14.79 |

* संशोधित अनुमान 2.06 करोड़

उपर्युक्त तालिका की जांच में पाया गया कि राज्य आयोजना शीर्ष तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में विभिन्न परियोजनाओं में आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया जो 27.12 और 52.11 प्रतिशत के मध्य रहा । इसके अलावा प्रभागवार बजट आवंटन और व्यय ***परिशिष्ट 8.1*** में दर्शाया गया है जिसके विश्लेषण में पाया गया कि आवंटित बजट का उपयोग वर्ष 2018-19 के दौरान 14 में से 10 प्रभागों में 21.92 और 96.49 प्रतिशत रहा जबकि बायो-टेक्नोलॉजी अनुसंधान केन्द्र में यह ₹ 3000 के आवंटन के विरूद्ध शून्य था । वर्ष 2018-19 के दौरान शेष तीन प्रभागों को कोई बजट आवंटन नही किया गया ।

बजट की अधिक मांग और उसके कम उपयोग के सम्बन्ध में विभागों का उत्तर अपेक्षित रहा (मई 2020) ।

**लेखापरीक्षा निष्कर्ष**

### 8.2.7 वित्तीय प्रबन्धन

#### 8.2.7.1 वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य

प्रत्येक प्रभाग द्वारा की गई गतिविधियों के आधार पर और बजट घोषणा/आवंटन को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक प्रभाग हेतु भौतिक लक्ष्य (परियोजना स्थापना हेतु) के साथ ही वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये जाते है । विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों और सूचनाओं के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 2016-19 के दौरान छः खण्डों[7] के वित्तीय लक्ष्यों की औसत उपलब्धि

[6] अनुसंधान एवं विकास प्रभाग (आर एण्ड डी परियोजना, नैनो-प्रौद्योगिकी, छात्र परियोजना, कार्यशाला/सेमिनार, परिवहन सहयोग) एसएसडी प्रभाग (पायलट परियोजना जैसे सेनेटरी नैपकिन, कृत्रिम गर्भादान, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण), संचार एवं लोकप्रियकरण (विज्ञान क्लब, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बाल विज्ञान कांग्रेस, बाल प्रतियोगिता, अकादमिक यात्रा, विज्ञान नाटक प्रतियोगिता, विज्ञान मॉडल एवं शिक्षण सहायता तथा जागरूकता शिविर), ईडीपी प्रभाग (ईडीपी जागरूकता शिविर, कौशल विकास, आरटीबीआई / बीबीआई, स्टार्ट-अप बूट क्लब) पेटेंट प्रभाग (आईपीआर कार्यशाला / सेमिनार, विश्वविद्यालय आईपीआर प्रकोष्ठ), जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग (कार्यशाला / सेमिनार, जैव-प्रौद्योगिकी हेतु अग्रिम अनुसंधान केन्द्र), सैटकॉम प्रशिक्षण केन्द्र एवं सरसैक।

[7] सरसैक, विज्ञान एवं समाज, विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण, जैव प्रौद्योगिकी, उद्यमिता विकास कार्यक्रम और अनुसंधान एवं विकास।

27.84 प्रतिशत और 83.84 प्रतिशत के मध्य रही जबकि भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि 30.22 प्रतिशत और 94.65 प्रतिशत के मध्य रही ।

राज्य सरकार ने इन तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2019) और बताया कि तकनीकी कर्मचारियों की कमी और पात्र परियोजनाओं की प्राप्ति नहीं होने के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके । परियोजनाओं हेतु अनुदान तभी जारी किया जाता है जब पैनल द्वारा परियोजना योग्य पाई जावे । राज्य सरकार ने आगे कहा कि परियोजनाओं के अनुमोदन में समय लगने वाली प्रक्रिया के कारण, वित्त विभाग परियोजना पर कम खर्चे के आधार पर, बजट आवंटन को कम कर देता है; हालांकि, भौतिक लक्ष्य वही रहते है ।

उत्तरको इस परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है कि प्राप्त औसत भौतिक लक्ष्य 30.22 प्रतिशत से 58.38 प्रतिशत तक रहे (सरसैक तथा विज्ञान और लोकप्रियकरण संचार को छोड़कर) जो इंगित करता है कि प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने और अन्य विभागों एवं संस्थानों के साथ समन्वय बढ़ाने के माध्यम से सार्वजनिक समझ और क्षमता बढ़ाने के लिए विभाग की ओर से अधिक प्रयासों की आवश्यकता है ।

### 8.2.7.2 वित्तीय संसाधनों का उपयोग नही किया जाना

राजस्थान बजट नियमावली के अध्याय 13 के बिन्दु 13.6 के अनुसार यह अति आवश्यक है कि व्यय के प्राक्कलन, जहां तक सम्भव हो, सटीक होने चाहिए ।

सैटकॉम, जयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ कि 2016-17 से 2018-19 के दौरान, विभिन्न परियोजनाओं हेतु राज्य आयोजना मद में आवंटित सम्पूर्ण बजट समर्पित किया जिसका विवरण निम्नानुसार है:

**(₹ लाखों में)**

| क्र.स. | मद का नाम | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | समर्पित | आवंटन | समर्पित | आवंटन | समर्पित |
| 1 | रिसिव ओनली टरमिनल (आरओटी) की स्थापना (टीएसपी एरिया) | 375.38 | 375.38 | 318.51 | 318.51 | 331.00 | 331.00 |
| 2 | आरओटी की स्थापना (एससीएसपी[8] एरिया) | 501.75 | 501.75 | 428.94 | 428.94 | 475.00 | 475.00 |
| 3 | आरओटी की स्थापना | 40.01 | 40.01 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | सैटकॉम टेलीमेडिसिन | 50.00 | 50.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 5 | सैटकॉम नेटवर्क का उन्नयन एवं विस्तार | 00.00 | 00.00 | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 10.00 |
| **कुल योग** | | **967.14** | **967.14** | **797.45** | **797.45** | **816.00** | **816.00** |

[8] शेड्यूल कास्ट्स सब प्लान।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर दिया गया (अक्टूबर 2019) कि उपग्रह की आवृति (अक्टूबर 2017) बदलने के कारण जिस पर ट्रांसमिशन चल रहा था, प्रौद्योगिकी के अद्यतन की आवश्यकता थी और इसलिए, राशि का उपयोग नही किया जा सका । आगे यह भी कहा गया कि विभाग प्रौद्योगिकी के प्रतिस्थापन की संभावना तलाश रहा है एवं उसके बाद नेटवर्क का विस्तार किया जा सकेगा ।

चूंकि विभाग, प्रौद्योगिकी के अद्यतन की प्रक्रिया में था अतः वर्ष 2018-19 में नेटवर्क विस्तार हेतु बजट आवंटन की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

आगे सरसैक जोधपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ कि विभिन्न परियोजनाओं हेतु राज्य आयोजना मद के तहत आवंटित बजट लगभग पूरा समर्पित किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

| क्र.स. | मद का नाम | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | समर्पित | आवंटन | समर्पित | आवंटन | समर्पित | आवंटन | समर्पित |
| 1. | सैटकॉम[9] (आरओटी) | 234.22 | 234.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | डिप्लोमा कोर्स | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | मैन पावर व्हीकल हायरिंग | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | लिडार मैपिंग | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | स्टडी ऑफ वेटलेण्ड | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | इम्पेक्ट असेसमेंट ऑफ वाटर शैड | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| **योग** | | **234.22** | **234.22** | **102.00** | **100.00** | **42.00** | **42.00** | **0.00** | **0.00** |

इस सम्बन्ध में उल्लेख किये जाने पर, विभाग ने बताया (मार्च 2019) कि सैटकॉम हेतु विभाग द्वारा वर्ष के अंत में[10] बजट आवंटित किया गया था जबकि डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु अलग भवन और संकाय उपलब्ध न होने के कारण बजट को समर्पित कर दिया गया । शेष परियोजनाओं के सम्बन्ध में अन्य योजनाओं के तहत उपलब्ध धनराशि का उपयोग किया गया तथा वित्त विभाग से मंजूरी नही मिलने एवं गतिविधियों का संचालन नहीं होने के कारण आवंटित बजट को समर्पित कर दिया गया ।

[9] सैटकॉम का प्रशासनिक नियंत्रण सरसैक के पास फरवरी 2015 तक रहा।

[10] 30 मार्च 2016

राज्य सरकार ने आगे उत्तर में बताया (अक्टूबर 2019) कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा स्वीकृति नहीं मिलने के कारण डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संचालन नहीं किया जा सका। शेष परियोजनाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग सैटकॉम के लिए बजट की समय पर उपलब्धता के साथ ही बजट आवंटन से पूर्व डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु भवन और संकाय की व्यवस्था के लिये जिम्मेदार था।

इसके अलावा, डिप्लोमा कोर्स को भवन और संकाय की व्यवस्था की कमी के कारण संचालित नहीं किया जा सका।

### 8.2.7.3 भारत सरकार से अनुदान सहायता

भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं / गतिविधियों हेतु प्राप्त अनुदान सहायता राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (राजकोष्ट) जो विभाग के अधीन कार्यरत एक संस्था है, के व्यक्तिगत जमा खाते[11] में रखा गया। व्यक्तिगत जमा खाता एवं सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ कि विभिन्न योजनाओं हेतु 2008-09 एवं 2009-10 में भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता राशि पाँच से आठ वर्षों पश्चात समर्पित कर दी गई जिसका विवरण निम्नानुसार है:

**(₹ लाखों में)**

| क्र.स. | योजना/गतिविधि का नाम | स्वीकृत | | राशि | | समर्पित | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राशि (₹) | दिनांक | प्राप्ति (₹) | दिनांक | राशि (₹) | दिनांक |
| 1 | सैट इनपुट की आवश्यकता के लिए सेक्टर विशिष्ट समस्याओं की पहचान, आविष्कार एवं प्रलेखन | 12.54 | 20/08/2008 | 6.77 | 03/11/2008 | 6.77 | 12/08/2016 |
| 2 | राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में पाइलट प्रदर्शन परियोजना ऑन कस्टम हायरिंग ऑन एनिमल ड्रान फार्म के क्रियान्वयन हेतु | 7.23 | 04/02/2010 | 5.36 | 26/07/2010 | 5.36 | 12/08/2016 |
| 3 | उन्नत हैडपम्पों का सामाजिक प्रसार | 27.75 | 28/01/2010 | 14.00 | 13/04/2010 | 14.00 | 12/08/2016 |
| 4 | पृथ्वी ग्रह को समझना | 27.90 | 24/03/2009 | 10.00 | 13/05/2009 | 10.00 | 18/12/2014 |
| **योग** | | **75.42** | | **36.13** | | **36.13** | |

राज्य सरकार ने तथ्यों (अक्टूबर 2019) को स्वीकार किया और कहा कि रिक्त पदों के कारण, तकनीकी अधिकारियों की कमी और अन्य प्रशासनिक कारणों से, स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुदान के उपयोग हेतु ठोस प्रयास नहीं किए गए। इससे न केवल ₹ 36.13 लाख का समर्पण हुआ, बल्कि ₹ 39.29 लाख की अनुदान सहायता की दूसरी किस्त प्राप्त करने के अवसर को भी गंवा दिया।

[11] संख्या II/547/288

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में यह ध्यान में आया कि कुछ प्रकरणों में विभिन्न योजनाओं[12] / गतिविधियों हेतु भारत सरकार से प्राप्त अनुदान का उपयोग समय पर नहीं हुआ और धनराशि व्यक्तिगत जमा खाते में 76 से 103 माहों तक अनुपयोगी रही ।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि आरओ प्लांट के प्रकरण में शेष राशि का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाएगा । बायो-गैस प्लांट के प्रकरण में, परियोजना की प्रगति को प्रस्तुत करने एवं अवशेष राशि को वापस करने हेतु कई पत्र लिखे गए हैं, साथ ही भौतिक सत्यापन हेतु एक समिति का गठन किया गया (अगस्त 2019) है । चूड़ी बनाने के भट्ठों के प्रकरण में, बकाया राशि के सम्बन्ध में निर्णय परियोजना के भौतिक सत्यापन के बाद लिया जाएगा ।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि विभाग निधियों के उपयोग को सुनिश्चित करने में सक्रिय नहीं है, इसके अतिरिक्त, विभाग पिछले आठ वर्षों में चूड़ी भट्ठों का भौतिक निरीक्षण कर सकता था जो कि नहीं किया गया ।

### 8.2.8 आयोजना

#### 8.2.8.1 विभागीय नियमावली

आदर्श विभागीय नियमावली एक संगठन की दीर्घकालिक दृष्टि, मिशन और नीतियों का वर्णन करती है एवं कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है ।

अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ कि विभाग ने अब तक (अक्टूबर 2019) यानी अपने अस्तित्व के 36 वर्ष से अधिक समय के बाद भी विभागीय नियमावली तैयार नहीं की है । इस सम्बन्ध में अवगत कराने पर विभाग ने इस तथ्य की पुष्टि की ।

#### 8.2.8.2 नीति विवरण और मार्गदर्शक सिद्धांत

राजस्थान कार्य संचालन नियम, 2005 के अनुसार, विभाग के कर्तव्यों में शामिल हैं:

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में नीति विवरण[13] और मार्गदर्शक सिद्धांतों का गठन तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करना ।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों का विकास करना ।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाना एवं राज्य के विकास हेतु उनको लागू करना ।

तदनुसार, विभाग द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पहचान की गई:

- सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक उपाय करना ।

[12] आरओ प्लांट का संचालन एवं रख-रखाव (एसएसडी), भरतपुर जिले में चूड़ी बनाने के लिए बायोगैस संवर्धन तथा ग्रामीण और ऑटोमोबाइल अनुप्रयोगों एवं बॉटलिंग प्रणाली तथा उन्नत भट्ठों के डिजाईन और विकास का पायलट स्तर पर प्रदर्शन।

[13] नीति निर्माण कार्यसूची के प्रभावी और स्वीकार्य पाठ्यक्रमों का विकास है जिसे नीतिगत एजेंडे में रखा गया है।

- उन क्षेत्रों की पहचान करना जिनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग राज्य के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों एवं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन, बेरोजगारी और गरीबी की समस्याओं से निपटने के उद्देश्यों हेतु किया जा सकता है ।
- ऐसे अनुसंधान और विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों को शुरू करने, समर्थन, बढ़ावा देने एवं समन्वय करने हेतु (प्रदर्शन परियोजनाओं सहित) विशिष्ट उद्देश्यों और समस्याओं की उपलब्धि हेतु प्रासंगिक होने और राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोगी दोहन में मदद करना है ।
- राज्य में विद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षा का आंकलन एवं विज्ञान शिक्षा को मजबूत करने हेतु कार्य योजना का गठन ।

अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ किः

➢ जैव प्रौद्योगिकी नीति 2015 को छोड़कर कोई व्यापक नीति (दीर्घकालिक/ लघुकालिक) एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त विभाग द्वारा तैयार नहीं किए गए थे । इसके अतिरिक्त विभाग ने अन्य विभागों से नियमित आधार पर डेटा/रिर्टन एकत्र करने हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की है ताकि व्यापक नीति/योजना तैयार की जा सके ।

विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर 2018) कि आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, योजना विभाग द्वारा जारी रिपोर्टों के आधार पर कार्ययोजना तैयार की गई है । यद्यपि, कार्ययोजनाओं के अस्तित्व से सम्बन्धित कोई दस्तावेजी साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया ।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि विश्वविद्यालय आईपी नीति का मसौदा तैयार किया गया है तथा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा "ओपन साइंस- ओपन इनोवेशन" में एक अध्ययन पूरा किया गया है तथा इस क्षेत्र में नीतिगत दिशानिर्देश बनाए जाएंगे ।

➢ उन क्षेत्रों की पहचान करने हेतु सर्वेक्षण अध्ययन नहीं किया गया जिनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग राज्य के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों-और विशेष रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन, बेरोजगारी और गरीबी की समस्याओं से निपटने हेतु किया जा सकता है ।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि (दिसम्बर 2018) विभाग द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

विभाग ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान सर्वेक्षण/अध्ययन के अभाव में किसी भी शोध परियोजना[14] की शुरूआत नही की, हालांकि विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के विभिन्न क्षेत्रों में मई 2013 से मार्च 2018 के बीच 55 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी । इन 55 परियोजनाओं में से मई 2019 तक 10 परियोजनाएं पूर्ण हुई । अभिलेखों की जांच में पाया गया कि लाभार्थियों/अंतिम उपयोगकर्ताओं को परिणामों के बारे में बताने हेतु न ही कोई प्रयास किया गया और न ही परिणामों को प्रसारित करने हेतु कोई उपयोगकर्ता कार्यशाला आयोजित की गई । इसके अलावा, अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के परिणामों के आधार पर किसी भी योजना को क्रियान्वित करने हेतु अन्य विभागों/संस्थानों से समन्वय के साथ प्रयास नहीं किये गये ।

[14] अपशिष्ट जल प्रबंधन, विभिन्न रोगों का उपचार, पानी का डी-फ्लोराइडाइजेशन आदि से सम्बन्धित परियोजनाएं।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2019) कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चयन अध्ययन या सर्वेक्षण के पश्चात नहीं किया गया । विषयों को, प्रथम विशेषज्ञ सलाहकार समिति जिसमें प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद् शामिल थे, द्वारा तय किया गया था । राज्य सरकार ने आगे कहा कि उपयोगकर्ताओं की कार्यशाला के आयोजन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा रहे हैं ।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि प्रथम विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्र के चयन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया ।

➢ राज्य में विद्यालय स्तर पर विज्ञान के अध्ययन की स्थिति का मूल्यांकन करने की प्रणाली लागू नहीं थी । इसके अतिरिक्त, विज्ञान विषय के अध्ययन को मजबूत करने हेतु कार्य योजना तैयार नहीं की गई ।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि विभाग की विज्ञान लोकप्रियकरण योजना[15] का उद्देश्य विद्यालयों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है तथा आगे बताया कि विज्ञान अध्ययन का मूल्यांकन एवं कार्य योजना तैयार करना विद्यालय शिक्षा विभाग के नियंत्रण एवं निगरानी में किया जाता है ।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि कार्य योजना तैयार करना और विज्ञान अध्ययन की स्थिति का मूल्यांकन करना विभाग का प्राथमिक उद्देश्य था ।

### 8.2.9 योजनाओं और नीतियों का निष्पादन

#### 8.2.9.1 जैव-प्रौद्योगिकी (बीटी) नीति -2015

जैव-प्रौद्योगिकी (बीटी) नीति 2015, निम्न मुख्य उद्देश्यों के साथ तैयार की गई थी:

- राज्य को जैव प्रौद्योगिकी के एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करना;
- वैश्विक मानक के अनुसंधान संस्थानों की स्थापना;
- जैव प्रौद्योगिकी नवाचारों हेतु प्रौद्योगिकी-सह-व्यापार इनक्यूबेटरों की स्थापना;
- सभी पारंपरिक रियायत / प्रोत्साहन पैकेजों के साथ जैव प्रौद्योगिकी में विनिर्माण सहित व्यावसायिक सेवा तैयार करना;
- जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु जैव प्रौद्योगिकी / जीवन विज्ञान उद्यान तैयार करना; तथा
- टीके, निदानिकी (diagnostics), दवा वितरण उपकरणों एवं जैव-सदृश हेतु जैव-फार्मा कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना ।

उपरोक्त नीति के अनुसार, निम्नलिखित शासन एवं नियामक क्रियाविधि को प्रारम्भ करना था:

- **राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी परिषद (आरबीसी):** एक सर्वोच्च सलाहकार समिति के रूप में राज्य की जैव प्रौद्योगिकी नीति के अधिदेश के लिए प्रासंगिक जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों की सिफारिश करने एवं सरकारी उद्योग-शैक्षणिक संपर्क को सुविधाजनक बनाने हेतु ।
- **राजस्थान राज्य जैव प्रौद्योगिकी मिशन (आरएसबीटीएम):** शासन सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं शासन सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के मार्गदर्शन में विशेषज्ञों, टेक्नोक्रेट्स (Technocrats), पेशेवरों, शिक्षाविदों, उद्योगपतियों एवं नीति

[15] विज्ञान क्लब, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बाल विज्ञान कांग्रेस, बाल प्रतियोगिता, अकादमिक यात्रा, विज्ञान ड्रामा प्रतियोगिता, विज्ञान मॉडल और तकनीकी सहायता, जागरूकता शिविर।

निर्माताओं के साथ नीतियों को तैयार करने एवं लागू करने का कार्य करने हेतु एक संस्था। प्रमुख शासन सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इसके सदस्य सचिव होंगे।

- **जैव-प्रौद्योगिकी विकास, विनियामक और परीक्षण प्राधिकरण:** राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के "एकल खिड़की" अनुमोदन समिति एवं एक डेटाबेस के रूप में कार्य करने हेतु। इसे बौद्धिक संपदा एवं पेटेंटिंग, अनुसंधान, प्रक्रियाओं, उत्पाद खरीद एवं विपणन, डेटा उपयोग एवं डेटा गोपनीयता को विनियमित एवं सुविधाजनक बनाना तथा पूरे राज्य में एक समान मंच प्रदान करना था।
- **वेब आधारित विनियमन:** वेब आधारित विनियामक कार्यों को करने हेतु, जिनका एक आभासी (Virtual) कार्यालय एवं तंत्र हो।
- **जैव ई-कॉमर्स एजेंसी:** निवेश, सेवाओं, विपणन एवं वितरण हेतु जैव प्रौद्योगिकी प्राधिकरण के तहत कार्य करने हेतु। यदि संभव हो तो इसे सार्वजनिक-निजी सहभागिता प्रणाली के रूप में अथवा एक स्वतंत्र जैवप्रौद्योगिकी निवेश, सेवा एवं विपणन प्राधिकरण के रूप में बनाया जाना था।

बीटी नीति के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ कि:

### *आरबीसी और आरएसबीटीएम का गठन*

राजस्थान जैव-प्रौद्योगिकी नीति 2015 के अनुपालन में, राजस्थान सरकार द्वारा आरबीसी एवं आरएसबीटीएम का गठन[16] किया गया, जिसमें जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के शासन सचिवों को भी सदस्यों के रूप में नामित किया गया था। प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य / जिला स्तरीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में जारी (07/09/2010) परिपत्र के पैरा 2.6 में वर्णित है कि जब राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय / विभागों के अधिकारियों को समितियों के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है तब सम्बन्धित विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। तदनुसार, प्रशासनिक सुधार विभाग ने सलाह[17] दी (मार्च 2016) कि उपरोक्त परिषदों के गठन के आदेश जारी करने के पूर्व डीबीटी, विभाग और डीएई के शासन सचिवों को शामिल करने हेतु भारत सरकार से अनुमोदन लिया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त परिषदों के गठन के आदेश भारत सरकार से सहमति प्राप्त करने से पूर्व यह कहते हुए जारी किए गए थे (मई 2016) कि अनुमति की औपचारिकताएं एक पखवाड़े में पूरी कर ली जाएगी तथा अनुमति प्राप्त करने के बाद नामों को शामिल किया जाएगा। डीबीटी और डीएई विभाग से सहमति प्राप्त हो गई है, तथापि, विभाग से सहमति अपेक्षित थी (जनवरी 2019)।

लेखापरीक्षा द्वारा आक्षेपित किए जाने पर (सितम्बर/ अक्टूबर 2018) विभाग ने बताया (दिसम्बर 2018) कि दोनों निकायों की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण विभाग के साथ बैठक हेतु प्रस्ताव की पहल हेतु कदम नहीं उठाए गए थे। इसके अतिरिक्त, परिषद / मिशन के मई 2016 में गठन के बाद से की गई बैठक या की गई गतिविधियों के सम्बन्ध में कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्राप्त नही हुआ।

---

[16] कार्यालय आदेश संख्या 3807 दिनांक 10/05/2016 द्वारा।

[17] सम्बन्धित पत्रावली की नोटशीट का पैरा 32-33।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2019) तथा बताया कि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु ठोस एजेंडा की कमी के कारण आरबीसी एवं आरएसबीटीएम की बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

### *जैव ई-कॉमर्स पोर्टल, आरबीआरए और वेब आधारित विनियमों को लागू करने में विफलता*

जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करने के लिए अलीबाबा डॉट कॉम के साथ साझेदारी में एक ई-कॉमर्स उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव प्रमुख शासन सचिव, विभाग द्वारा सरकार को भेजा गया (जनवरी 2016) था। मुख्यमंत्री, राजस्थान के अनुमोदन के पश्चात प्रस्ताव को वित्त विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (डीओआईटी एण्ड सी) को भेजा गया (फरवरी 2016) था। वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया गया (मार्च 2016) कि व्यापार के नियम के अनुसार, ई-कॉमर्स पोर्टल सहित आईटी प्लेटफॉर्म का विकास डीओआईटी एण्ड सी के अधिकार क्षेत्र का भाग है तथा डीओआईटी एण्ड सी ने पहले ही इस तरह के नवाचारों को लागू किया है एवं किसी अन्य विभाग द्वारा पृथक से ई-पोर्टल स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जैव ई-कॉमर्स पोर्टल स्थापित करने के प्रस्ताव को विभाग द्वारा मुख्यमंत्री को पुनः प्रस्तुत किया गया (मार्च 2016) जिसे टिप्पणियों हेतु डीओआईटी एण्ड सी को अग्रेषित कर दिया गया (अप्रैल 2016)। डीओआईटी एण्ड सी ने बताया (मई 2016) कि बीटी नीति 2015 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विपणन के लिए मौजूदा प्लेटफॉर्म को आकार (Configured) दे दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि राज्य में जैव-उद्यमों की ऐसी आवश्यकताओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी एजेंसियों को तभी से डीओआईटी एण्ड सी के पास भेजा गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योकि डीओआईटी एण्ड सी ने लेखापरीक्षा को पुष्टि की (मई 2019) है कि किसी भी सेवा के सम्बन्ध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आज दिनांक तक कोई सम्पर्क नहीं किया गया।

इसी प्रकार, आरबीआरए तथा वेब आधारित विनियामकों को भी बीटी नीति 2015 की अनुपालन में लागू किए जाने की आवश्यकता थी। संवीक्षा में विदित हुआ कि आरबीआरए और वेब आधारित विनियामकों के गठन के प्रस्तावों को वित्त विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया था क्योंकि निवेश संवर्धन ब्यूरो, उद्योग विभाग तथा रीको के तहत एकल खिड़की व्यवस्था पहले से ही स्थापित थी तथा जैव तकनीकी क्षेत्र की गतिविधियों को इन्ही विभागों द्वारा देखा जा रहा था।

विभाग को नीति तैयार करने से पहले एकल खिड़की प्रणाली, ई-कॉमर्स पोर्टल के अस्तित्व/ संचालन के बारे में अन्य विभागों / निकायों के साथ समन्वय करना चाहिए था, परन्तु विभाग ऐसा करने में विफल रहा। संवीक्षा में आगे विदित हुआ कि इस सम्बन्ध में स्थिति से अवगत होने के बाद भी विभाग ने निवेश संवर्धन ब्यूरो, उद्योग विभाग तथा रीको से समन्वय करने का कोई प्रयास नहीं किया। इन विभागों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई (मार्च एवं मई 2019)।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि नीतिगत विवरणों को तैयार करने एवं अंतिम रूप देने से पूर्व सम्बन्धित विभागों यथा बीआईपी, उद्योग विभाग, प्रदूषण बोर्ड आदि के साथ समन्वय स्थापित किया गया था।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि इस सम्बन्ध लेखापरीक्षा के समय तथा उत्तर के साथ कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये।

इस प्रकार सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय की कमी और अत्यधिक महत्वाकांक्षी नीति को लागू करने में विफलता के कारण, अपेक्षित लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

### 8.2.9.2 जैव प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र

वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा में, माननीय मुख्यमंत्री ने जैव प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु एक उन्नत अनुसंधान केन्द्र को जोधपुर में स्थापित करने की घोषणा की। प्रस्तावित केन्द्र को दो चरणों में स्थापित किया जाना थाः

प्रथम चरणः उपकरण खरीदे जाने थे तथा केन्द्र को जोधपुर में किराये के भवन में स्थापित किया जाना था।

द्वितीय चरणः विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार एक समर्पित केन्द्र का निर्माण किया जाएगा तथा मानव शक्ति को काम पर रखा जाएगा।

प्रस्तावित केन्द्र के लिए परियोजना विकास सेवाएं प्रदान करने हेतु मैसर्स पीडी कोर लिमिटेड, जयपुर को दोनों चरणों हेतु क्रमशः राशि ₹ 25.00 लाख एवं ₹ 15.00 लाख का कार्यादेश प्रदान किया (अगस्त 2013) गया। विभाग एवं पीडी कोर के मध्य दिनांक 30 अक्टूबर 2013 को समझौता ज्ञापन (एमओए) हस्ताक्षरित किया गया।

प्रारूप विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर विभाग से टिप्पणियां प्राप्त होने के, यदि कोई हो, 15 दिनों के भीतर पीडी कोर द्वारा अंतिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत की जानी थी। पीडी कोर द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को तीन विशेषज्ञों की समिति द्वारा पुनरीक्षित किया जाना था तथा उक्त समिति द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को मंजूरी देने के उपरान्त, द्वितीय चरण की गतिविधियों को शुरू करने हेतु कदम उठाए जाने थे (जुलाई 2013)।

संवीक्षा में विदित हुआ कि पीडी कोर द्वारा प्रथम चरण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 3 जनवरी 2014 को प्रस्तुत किया गया, जबकि विशेषज्ञों की समिति का गठन (20 जनवरी 2014) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद किया गया था तथा तीन विशेषज्ञों की सहमति प्राप्त करने हेतु पत्र जारी किए गए (29 जनवरी 2014) थे। उनकी सहमति प्राप्त करने के पश्चात, उनकी पुनरीक्षित टिप्पणियों को प्राप्त करने हेतु 26 फरवरी 2014 को पत्र जारी किए गए थे। यह पाया गया कि दो विशेषज्ञों की पुनरीक्षित टिप्पणियां 26 मार्च 2014 और 6 अगस्त 2014 के मध्य प्राप्त की गईं। तीसरे विशेषज्ञ की पुनरीक्षित टिप्पणियां 22 माह की देरी से दिसम्बर 2015 में प्राप्त हुईं थी। इस दौरान पीडी कोर द्वारा सूचित किया गया (14 नवम्बर 2014) कि 3 जनवरी 2014 को प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को अंतिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मान लिया जावे।

लेखापरीक्षा में पाया (अक्टूबर 2018) गया किः

- समय पर विशेषज्ञ समिति का गठन नही करने एवं पुनरीक्षित टिप्पणियां प्राप्त करने में देरी के कारण, पीडी कोर द्वारा विशेषज्ञ समिति की पुनरीक्षित टिप्पणियों को शामिल किए बिना अंतिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
- प्रथम चरण की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की अंतिम रूप से प्रस्तुति के बाद (अप्रैल 2016), केन्द्र की स्थापना हेतु कदम नहीं उठाये गये और इस प्रकार तीन वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी, प्रथम चरण की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने पर राशि ₹ 28.09 लाख का व्यय निष्फल रहा।
- यह भी पाया गया कि केन्द्र को राज्य सरकार के स्तर पर जोधपुर से जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था, परन्तु इसका कारण अभिलेख में नहीं पाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने (सितम्बर-अक्टूबर 2018) पर विभाग द्वारा अवगत कराया (अक्टूबर-दिसम्बर 2018) गया कि केन्द्र को स्थानांतरित करने का निर्णय सरकार स्तर पर लिया गया था, इसके अतिरिक्त, तीन विशेषज्ञों में से एक ने यह सुझाव भी दिया था कि यदि केन्द्र जयपुर में स्थापित किया जाता है तो अधिक प्रासंगिक होगा। उत्तर मान्य नही है क्योकि सक्रिय कार्रवाई की कमी एवं उचित योजना के अभाव के कारण पाँच वर्ष से अधिक का समय बीतने के बावजूद भी केन्द्र स्थापित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा आगे बताया जाने (जुलाई 2019) के बाद, केन्द्र की स्थापना में देरी के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, हालांकि, यह स्वीकार किया गया कि केन्द्र की स्थापना हमेशा विभाग का शीर्ष एजेंडा रहा है तथा वर्तमान में इसका दृढ़ता से पालन किया जा रहा है।

### 8.2.9.3 नैनो-प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केन्द्र

वर्ष 2011-12 की बजट घोषणा के अनुसार, "नैनो-प्रौद्योगिकी" में उच्च स्तरीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय (यूओआर) के रूपान्तरित (Converging) प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीसीटी) में एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। तदनुसार, उपरोक्त केन्द्र की स्थापना हेतु अनुदान जारी करने के लिए विभाग एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के मध्य एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये गये (11 फरवरी 2012) थे। अनुबन्ध के अनुसार, 2011-12 के दौरान प्रथम चरण हेतु राशि ₹ 8.00 करोड़ का गैर-आवर्ती अनुदान तथा 2012-13 के दौरान द्वितीय चरण में उपकरणों की खरीद हेतु राशि ₹ 2.00 करोड़ जारी की जानी थी। उपकरणों के रख-रखाव एवं उपभोग्य वस्तुओं हेतु 2012-13 से 2014-15 के दौरान प्रति वर्ष ₹ 1.00 करोड़ का आवर्ती अनुदान भी जारी किया जाना था। विभाग द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय को ₹ 8.00 करोड़ जारी किए गये (30 मार्च 2012)।

अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ किः

- विभाग को निगरानी समिति के माध्यम से केन्द्र के अनुसंधान/प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी करनी थी। समिति का गठन जुलाई 2012 में किया गया था परन्तु समिति की बैठक आज तक नहीं हुई एवं न ही विभाग ने भौतिक/वित्तीय प्रगति के बारे में समिति से रिपोर्ट मांगी/प्रयास किये।

- विभाग द्वारा उपभोग्य वस्तुओं पर आनुपातिक शुल्क के आधार पर नैनो प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य करने हेतु एक वैज्ञानिक को मनोनीत करना था परन्तु विभाग ने वैज्ञानिक के मनोनयन हेतु कोई कार्यवाही नही की।
- अनुबन्ध के बिन्दु 2.7 एवं 2.9 के अनुसार, सीसीटी को सभी आवधिक रिपोर्ट एवं दस्तावेज विभाग द्वारा आवश्यक होने पर, परियोजना के तहत किये गये खर्च के वार्षिक लेखापरीक्षित विवरण के साथ तैयार कर प्रस्तुत करने थे। संवीक्षा में विदित हुआ कि केवल उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त करने के प्रयास किये गये जो कि बहुत देरी के बाद प्रस्तुत[18] किया गया परन्तु इसके बाद मशीनों की स्थापना एवं उनके संचालन की प्रगति के बारे में न तो विभाग द्वारा पूछा गया और न ही आज तक सीसीटी द्वारा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया।
- विभाग और राजस्थान विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ आयोजित[19] केन्द्र के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि यूएस डॉलर की विनिमय दर में वृद्धि के कारण सात आवश्यक उपकरणों के विरूद्ध केवल चार उपकरण (लागत राशि 8.96 करोड़) ही खरीदे जा सके। इसके अलावा केन्द्र का संचालन नहीं किया गया था क्योंकि प्रमुख उपकरणों को अभी भी स्थापित किया जाना बाकी था (जून 2019)।
- विभाग द्वारा द्वितीय चरण हेतु राशि ₹ 2.00 करोड़ एवं रख-रखाव तथा उपभोग्य वस्तुओं हेतु प्रति वर्ष राशि ₹ 1.00 करोड़ का अनुदान प्रदान नही किया गया। इसके अलावा, केन्द्र के संचालन हेतु योजना तैयार नही की गई। इस प्रकार, उपकरणों की स्थापना नहीं होने एवं विभाग द्वारा शेष अनुदान जारी नहीं करने के कारण, नैनो-प्रौद्योगिकी केन्द्र को इसकी अवधारणा के छः वर्ष बाद भी संचालित नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर दिया गया (अक्टूबर 2019) कि उपकरणों की खरीद एवं स्थापना में देरी के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार है। आगे अवगत कराया गया कि दो उपकरण 2014 से संचालन में थे तथा सीसीटी छात्रों एवं संकाय सदस्यों द्वारा उपयोग किए जा रहे थे।

उत्तर दर्शाता है कि विभाग एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के मध्य निगरानी एवं समन्वय की कमी थी। इसके अलावा, दो उपकरणों के उपयोग के सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये तथा अनुसंधान कार्य करने के लिए वैज्ञानिकों को मनोनीत करने की कार्य योजना भी तैयार नहीं की गई थी।

### 8.2.9.4 सैटकॉम कोचिंग योजना का कार्यान्वयन

उपग्रह संचार की स्थापना 2005 में विभिन्न विभागों की गतिविधियों के प्रशिक्षण और प्रचार के उद्देश्य से इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर में विकास एवं शिक्षा संचार इकाई (डीईसीयू), ईसरो अहमदाबाद के साथ की गई थी। विभाग इस परियोजना हेतु नोडल एजेंसी है। कार्यक्रम को प्रारम्भ में अप्रैल 2011 से तीन लगातार वर्षों के लिए प्रस्तावित किया गया था तथा निर्धारित मानदंडों के अनुसार फीडबैक के आधार पर नियमित मूल्यांकन के बाद, कार्यक्रम को भविष्य में जारी रखा जाना था।

[18] 30 मार्च 2016 को।

[19] 30 अक्टूबर 2018 एवं 21 जून 2019

अभियांत्रिकी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु सैटकॉम कोचिंग द्वारा राज्य के दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े परिवारों के लगभग 7000 मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष सुविधा प्रदान की जानी थी । यह कोचिंग जिला परिषद, पंचायत समिति एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (जीएसएसएस) आदि पर स्थापित 512 रिसीव ओनली टर्मिनल[20] (आरओटी) एवं 76 सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल[21] (एसआईटी) के माध्यम से प्रदान की जानी थी।

2016-17 से 2018-19 के दौरान संचालित सैटकॉम केन्द्र तथा इन केन्द्रों पर किये गये व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

**(₹ लाखों में)**

| वर्ष | स्थापित किये गये केन्द्रों की कुल संख्या | | संचालित सैटकॉम केन्द्रों की संख्या (%) | कुल आवंटित बजट | कुल व्यय (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | आरओटी | एसआईटी | | | |
| 2016-17 | 512 | 76 | 92 (15.65) | 220.00 | 65.93 ( 29.97 ) |
| 2017-18 | 512 | 76 | 46 (7.82) | 220.00 | 46.84 ( 21.29 ) |
| 2018-19 | 512 | 76 | 46 (7.82) | 100.00 | 20.24 (20.24) |
| **कुल** | | | | **540.00** | **133.01 (24.63)** |

उपरोक्त सारणी से प्रदर्शित होता है कि केवल 7.82 से 15.65 प्रतिशत केन्द्र संचालित थे तथा आवंटित बजट का केवल 20.24 से 29.97 प्रतिशत का उपयोग किया गया था ।

इसके अतिरिक्त, अभिलेखों की संवीक्षा में योजना के संचालन में निम्नलिखित कमियां विदित हुई:

- कार्यक्रम के तहत पंजीकरण का मापदंड यह था कि छात्र को 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए । विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के माध्यम से जमा किया जाना था तथा जिन छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाना था, उनकी अंतिम सूची विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समिति जिसमें परियोजना निदेशक, परियोजना अधिकारी एवं अनुसंधान अधिकारी शामिल हो, द्वारा जांच के पश्चात तैयार की जानी थी । अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ कि पात्र छात्रों से आवेदन आमंत्रित करने तथा दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से पिछड़े छात्रों के चयन हेतु प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी ।
- जिला परिषद और पंचायत समिति स्तर पर सैटकॉम कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति की निगरानी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जानी थी । इसके अतिरिक्त, परियोजना के मूल्यांकन हेतु, एक पखवाड़े में एक बार छात्रों से नियमित फीडबैक प्राप्त किया जाना था । इस प्रयोजन के लिए छात्रों को एक प्रारूप वितरित किया जाना था तथा एसआईटी संचालक द्वारा एकत्र किया जाना था । सैटकॉम कार्यालय, जयपुर फीडबैक की जांच करने एवं इसे शासन सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता वाली विभागीय समिति को प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार था । तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया ।

[20] 312 आरओटी 2008 से 2010 मे मध्य तथा 200 आरओटी 2013 में स्थापित किये गये।

[21] 2008 से 2010 मे मध्य स्थापित किये गये।

- कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को विभिन्न संस्थानों से भाग लेने वाले छात्रों के चयन के बारे में जानकारी एकत्र करनी थी । संवीक्षा में विदित हुआ कि न तो कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जानकारी एकत्रित की जा रही थी और न इस तरह की सूचना विभागीय स्तर के दस्तावेजों में पाई गई ।
- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर संचालित 46 केंद्रों में से 14 सैटकॉम केंद्रों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया किः
  - 13 केन्द्रों पर छात्रों के चयन, कक्षाओं की अनुसूची, छात्रों की उपस्थिति, छात्रों के फीडबैक सम्बन्धी अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया ।
  - 11 केन्द्रों पर पिछले दो से छह वर्षों से कक्षाएं आयोजित नहीं की गईं ।
  - 10 केन्द्रों पर सैटकॉम टर्मिनल काम नही कर रहा था । इन 10 में से चार केन्द्रों पर, पिछले दो से छह वर्षों से टर्मिनल काम नहीं कर रहा था ।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2019) तथा अवगत कराया कि आरओटी का कम उपयोग, उपग्रह के नई आवृत्ति (Frequency) पर स्थानान्तरण (Migration) के कारण हुआ । छात्रों से नामांकन, उपस्थिति एवं फीडबैक के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि ये नोडल अधिकारियों / प्राचार्यों से प्राप्त किए जा रहे थे । सकारात्मक फीडबैक के आधार पर योजना को आगे जारी रखा गया ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 14 में से 11 केंद्रों पर पिछले दो से छह वर्षों के दौरान सैटकॉम कक्षाएं आयोजित नहीं की गई थी जो कि विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण में सत्यापित किया गया ।

इस प्रकार, दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े परिवारों के छात्रों को अभियांत्रिकी एवं चिकित्सा पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु सैटकॉम कोचिंग की सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ । लेखापरीक्षा आश्वस्त नही है कि सैटकॉम कोचिंग की स्थापना के लिए ₹ 1.33 करोड़ का किया गया व्यय अपने वांछित उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है ।

### 8.2.9.5 पशुधन में कृत्रिम गर्भाधान के उपयोग पर परियोजना

पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा मूल्यांकन करने के पश्चात पीईसी लिमिटेड[22] के "कृत्रिम गर्भाधान में नवीनतम तकनीक का उपयोग करके पशुधन की आबादी बढ़ाने के पायलट प्रोजेक्ट" सम्बन्धी प्रस्ताव को विभाग ने स्वीकार किया । तदनुसार, राशि ₹ 63.05 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति और साथ-साथ पीईसी लिमिटेड के पक्ष में राशि ₹ 31.52 लाख (अनुदान का 50 प्रतिशत) अग्रिम के रूप में जारी करने की वित्तीय स्वीकृति जारी (13 मई 2016) की गई । संयुक्त निदेशक (प्रजनन एवं गौशाला) को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया तथा पाँच जिलों (जयपुर, उदयपुर, नागौर, भरतपुर और चूरू) के जिला उप निदेशकों को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी[23] नियुक्त किया गया । परियोजना के तहत जयपुर, उदयपुर और भरतपुर जिलों के विभिन्न कृत्रिम गर्भाधान (एआई) केंद्रों पर पशु चिकित्सा अधिकारियों और एआई कार्यकर्ताओं को 60 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाना था ।

[22] भारत सरकार का उपक्रम।

[23] 23/02/2016 के आदेश द्वारा।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया किः

- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तीन जिलों यथा जयपुर, उदयपुर एवं भरतपुर में पायलट परियोजना को लागू करने हेतु जारी की गई थी, जबकि केवल जयपुर जिले में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था तथा पीईसी लिमिटेड द्वारा अग्रिम के रूप में जारी की गई राशि ₹ 31.52 लाख के विरूद्ध सम्पूर्ण राशि ₹ 63.05 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया।
- पीईसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत (मार्च 2017) की गई परियोजना प्रतिवेदन को पशुपालन विभाग के दो अधिकारियों को मूल्यांकन हेतु भेजा (जुलाई 2017) गया था परन्तु उनकी टिप्पणियां अपेक्षित थी (अक्टूबर 2019)। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा पशुपालन विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी।
- पशुपालन विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पशु चिकित्सा अधिकारियों / एआई कार्यकर्ताओं को नामित नहीं किया गया। हालाँकि, विभाग के दस्तावेजों से पता चला है कि एक कंपनी[24] द्वारा 16 मई 2016, अर्थात विभाग द्वारा निर्देश जारी (26 मई 2016) किये जाने से पूर्व ही, से प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया गया था। पशुपालन विभाग ने अभी तक प्रशिक्षण के लिए अपने अधिकारियों को नामित नहीं किया था तथा प्रशिक्षण प्रदान करने वाली कंपनी के साथ सहयोग करने के लिए क्षेत्र अधिकारियों को केवल दूरभाष पर निर्देश जारी किए गए।
- परियोजना को लागू करने हेतु विभाग तथा पशुपालन विभाग के मध्य समन्वय बनाए जाने सम्बन्धी क्रियाविधि का कोई सबूत नहीं था।
- परियोजना के लाभों का विश्लेषण करने के लिए न तो विभाग द्वारा और न ही पशुपालन विभाग द्वारा परियोजना की अनुवर्ती जांच संचालित की। पायलट परियोजना के कार्यान्वयन एवं निगरानी के सम्बन्ध में पशुपालन विभाग नोडल अधिकारियों से विभाग ने न तो प्रगति/ फॉलोअप (Follow up) प्रतिवेदन प्राप्त किया एवं न ही अनुरोध किया।

लेखापरीक्षा द्वारा आक्षेपित किए जाने (दिसम्बर 2018) पर विभाग ने उत्तर दिया कि मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु पशुपालन विभाग को बार-बार पत्र जारी किए गए। यह भी बताया गया कि परियोजना की फॉलोअप और निगरानी हेतु पशुपालन विभाग के नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया था, लेकिन इस सम्बन्ध में अब तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

राज्य सरकार ने उत्तर (अक्टूबर 2019) दिया कि विभाग द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसार परियोजना को दो जिलों में लागू किया गया था तथा प्रशिक्षण के सभी विवरण पीईसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, परियोजना को सभी संदर्भों में पूर्ण करवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही/निर्णय लेने हेतु पशुपालन विभाग के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभागीय दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रशिक्षण तीन जिलों में दिया जाना था, जिसके विरुद्ध केवल जयपुर जिले में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, नामांकन / दिये गये प्रशिक्षण के सम्बन्ध में दस्तावेज विभाग/पशुपालन विभाग द्वारा न तो संधारित किये गये और न ही प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार प्रशिक्षण पर राशि ₹ 31.52 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

[24] पीईसी लिमिटेड द्वारा बाहर से सेवाएं ली गई।

इसका तात्पर्य यह है कि विभाग ने एक पायलट परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु सक्रिय कदम नहीं उठाए, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास तथा वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी ।

### 8.2.9.6 स्टार्ट-अप बूट क्लब

वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा के अनुसार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं गणित को बढ़ावा देने हेतु 71 मॉडल विद्यालयों में प्रथम चरण में स्टार्ट-अप बूट क्लब स्थापित किए जाने थे । इस योजना के तहत, छात्रों को "रैस्पबेरी पाई किट" (एक छोटे आकार का कंप्यूटर) प्रदान किया जाना था । इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विद्यालय शिक्षा विभाग के साथ एक बैठक आयोजित की गई (मई 2017) । विद्यालय शिक्षा विभाग से उप निदेशक (मॉडल विद्यालय) को नोडल अधिकारी नामित किया गया था तथा विभाग से परियोजना निदेशक- II को नोडल अधिकारी नामित किया गया था । विद्यालय शिक्षा विभाग ने समन्वय सुनिश्चित करने हेतु एक नोडल अधिकारी के नामांकन के साथ 71 सरकारी मॉडल विद्यालयों की सूची प्रदान की । इसने उन शिक्षकों की भी सूची प्रदान की जिन्हें एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाना था प्रशिक्षण 14 से 18 मार्च 2018 के दौरान 68 शिक्षकों[25] को प्रदान किया गया ।

अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ किः

- विद्यालय शिक्षा विभाग ने किटों की आवश्यकता के सम्बन्ध में सूचना प्रदान नही की । इन क्लबों के संचालन की निगरानी हेतु कोई कार्य योजना / कार्यविधि अस्तित्व में नही थी ।
- संचालित 71 में से 27 बूट क्लबों में विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया किः
  - नौ विद्यालयों में, मार्च 2018 से अभी तक किट पैक (बन्द) अवस्था में थे, जबकि 15 विद्यालयों में, दो या तीन किट खोले गए थे, जिनके माध्यम से छात्रों को प्रारंभिक जानकारी प्रदान की गई थी । केवल तीन विद्यालयों[26] में ठीक तरह से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था ।
  - सात विद्यालयों के शिक्षकों को, जिन्हे मूल रूप से प्रशिक्षण दिया गया था, इस प्रशिक्षण के एक या दो माह पश्चात अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित कर दिया गया था ।
  - अधिकांश बूट क्लब के प्रभारियों ने स्वीकार किया कि उन्हें आगे प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि छात्रों को प्रभावी शिक्षण प्रदान किया जा सके । शिक्षित छात्रों की संख्या और उनके फीडबैक के बारे में कोई अभिलेख संधारित नहीं किये जा रहे थे ।

राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया गया (अक्टूबर 2019) कि स्टार्ट-अप बूट क्लब की स्थापना का निर्णय विद्यालय शिक्षा विभाग के साथ एक बैठक में लिया गया था । इसके अतिरिक्त, नोडल अधिकारी होने के नाते, स्टार्ट-अप बूट क्लब की निगरानी और निरीक्षण का दायित्व विद्यालय शिक्षा विभाग का था । यह भी अवगत कराया गया कि किटों के अधिकतम उपयोग हेतु विभाग के साथ आधिकारिक सम्पर्क किया गया था । फीडबैक के विषय में, राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि शिक्षकों ने छात्रों की राय के आधार पर फीडबैक प्रेषित किया ।

---

[25] तीन शिक्षक अनुपस्थित थे।

[26] मॉडल विद्यालय कोडिया (कोटरी), डिबश्या (गंगापुर सिटी) तथा डिडवाना (लालसोट)।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग ने अपनी गणना के आधार पर किटों की खरीद की थी तथा इन किटों की आवश्यकता के बारे में प्रस्ताव विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत नही किए गए थे। इसके अतिरिक्त, विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित फीडबैक विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि छात्रों से प्राप्त फीडबैक का आधार न तो अभिलेखों में पाया गया और न ही उत्तर के साथ प्रस्तुत किया गया।

### 8.2.9.7 विज्ञान क्लबों की स्थापना

वर्ष 2011-12 की बजट घोषणा के अनुसार, ऐसे माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहां विज्ञान प्रयोगशालाएँ पहले से ही स्थित थी एवं विज्ञान एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढाया जा रहा था, 5000 विज्ञान क्लबों की स्थापना की जानी थी। प्रत्येक क्लब के लिए योग्य विद्यालयों को राशि ₹ 10,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी; जिसका 50 प्रतिशत हिस्सा विज्ञान से सम्बन्धित किताबें, सीडी, पोस्टर, चार्ट, विज्ञान किट क्रय करने एवं 50 प्रतिशत हिस्सा विज्ञान से सम्बन्धित कार्यक्रम/गतिविधियां आयोजित करने में उपयोग किया जाना था।

दिशानिर्देशानुसार, विज्ञान क्लबों का मूल्यांकन इनके द्वारा आयोजित गतिविधियों, विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित वार्षिक प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र के आधार पर करना था। वार्षिक प्रतिवेदनों के आधार पर पंचायत, जिला एवं संभाग स्तर पर श्रेष्ठ विज्ञान क्लब को विशेष आर्थिक एवं कार्यक्रम आधारित सहायता प्रदान की जानी थी।

अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ कि सहायता प्राप्त करने वाले क्लबों की संख्या नीचे दिये अनुसार लगातार घट रही थी:

(₹ लाखों में)

| वर्ष | विज्ञान क्लबों की स्थिति | | अनुदान राशि |
|---|---|---|---|
| | विज्ञान क्लबों की संख्या जिन्हे अनुदान जारी किया गया | विज्ञान क्लबों का प्रतिशत जिन्हे अनुदान जारी किया गया (आधार वर्ष 2011-12) | |
| 2011-12 | 5000 | 100.00 | 500.00 |
| 2012-13 | 550 | 11.00 | 55.00 |
| 2013-14 | 550 | 11.00 | 55.00 |
| 2014-15 | 00 | 00.00 | 00.00 |
| 2015-16 | 375 | 7.50 | 37.50 |
| 2016-17 | 416 | 8.32 | 41.60 |
| 2017-18 | 430 | 8.60 | 43.00 |
| 2018-19 | 160 | 3.20 | 16.00 |

इस प्रकार, 3.20 प्रतिशत क्लब ही मार्च 2019 को संचालन में थे। संवीक्षा में विदित हुआ कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि में अनुदान सीधे क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से विज्ञान क्लबों को जारी किए गए थे, उसके पश्चात् सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों को अनुदान जारी किया गया जो कि आगे विज्ञान क्लबों को जारी करते थे। वर्ष 2018-19 के लिए, विभाग ने निदेशक, विद्यालय शिक्षा, बीकानेर को एकमुश्त अनुदान जारी किया, जहाँ से अनुदान सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों को एवं इसके पश्चात विज्ञान क्लबों को जारी किया गया।

यह इंगित करता है कि विज्ञान क्लबों को अनुदान जारी करने की प्रणाली पूर्णतः तदर्थ थी । संवीक्षा में आगे विदित हुआ किः

- वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान विज्ञान क्लबों द्वारा न तो कोई गतिविधि रिपोर्ट / वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और न ही विभाग द्वारा इन्हे प्राप्त करने का प्रयास किया;
- क्लबों में से एक को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान क्लब घोषित करने की शर्त का पालन नहीं किया गया । इसलिए, क्लबों को कोई विशेष सहायता प्रदान नहीं की गई जो कि छात्रों को और प्रेरित कर सकती थी ।
- विभाग ने वित्तीय सहायता जारी करने के बाद इन विज्ञान क्लबों की गतिविधियों की कोई निगरानी नहीं की एवं केवल उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही संतुष्ट रहा ।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तीन[27] क्षेत्रीय कार्यालयों ने सूचित किया (जनवरी-अप्रैल 2019) कि सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अभाव में मूल्यांकन नहीं किया गया था । इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर ने सूचित किया कि कर्मचारियों की कमी के कारण कोई निगरानी नहीं की गई, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर ने सूचित किया कि शिक्षा विभाग से कुछ मूल्यांकन प्रतिवेदन[28] प्राप्त हुये थे, लेकिन कार्यभार की अधिकता एवं स्टाफ की कमी के कारण उनके स्तर पर आगे मूल्यांकन नहीं किया गया ।

राज्य सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2019) कि बजट में कटौती के कारण विज्ञान क्लबों की संख्या में कमी आई । उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समय पर न मिलने और कर्मचारियों की कमी के कारण सर्वश्रेष्ठ विज्ञान क्लबों का चयन नहीं किया गया था । आगे कहा गया कि विज्ञान क्लबों की निगरानी क्षेत्रीय कार्यालयों और जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जा रही है ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा योजना के उचित अनुवर्ती कार्यवाही, मूल्यांकन एवं निगरानी के अभाव में यह आश्वस्त नही किया जा सकता कि योजना अपने वांछित उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रही । इस प्रकार, विज्ञान के बारे में छात्रों के बीच अधिक रूचि उत्पन्न करने का उद्देश्य अपूर्ण रहा ।

### 8.2.9.8 बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ

बदलते कारोबारी वातावरण में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) महत्वपूर्ण हो गया है । महानियंत्रक, पेटेन्ट डिजाईन एवं ट्रेडमार्क कार्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, राजस्थान में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में क्रमशः 151 एवं 186 पेटेन्ट आवेदन भरे गये थे ।

विभाग ने एक आईपीआर प्रकोष्ठ स्थापित करने का निश्चय किया था जो आविष्कारकों द्वारा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के सृजन एवं संरक्षण के लिए प्रोत्साहन को बढ़ाता है । इसके लिए विभाग ने वर्ष 2017-18 के दौरान पाँच विश्वविद्यालयों[29] को आईपीआर प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए प्रत्यके विश्वविद्यालय को राशि ₹ 2.00 लाख का अनुदान जारी किया । दिशानिर्देशानुसर, इन विश्वविद्यालयों द्वारा अनिवार्य रूप से त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक

---

[27] बीकानेर, कोटा और उदयपुर।

[28] 2015-16 में 125 में से एक, 2016-17 में 100 मे से 25 एवं 2017-18 में 100 में से पाँच।

[29] 1. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 2. कोटा विश्वविद्यालय 3. राजस्थान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोटा 4. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं 5. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने थे। विभाग की एक संचालन समिति द्वारा इन प्रकोष्ठों की प्रगति के बारे में त्रैमासिक समीक्षा की जानी थी।

अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ कि:

- बजट उपयोग का प्रतिशत 46.44 और 71.87 के मध्य रहा। विवरण निम्न प्रकार हैं:

**(₹ लाखों में)**

| वर्ष | आवंटन | व्यय | व्यय का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 2016-17 | 35.75 | 16.60 | 46.44 |
| 2017-18 | 32.35 | 23.25 | 71.87 |
| 2018-19 | 25.57 | 17.74 | 69.38 |

- विभाग ने आईपीआर जागरूकता शिविर और गतिविधियों के आयोजन के लिए कोई भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं।
- विभाग, वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभाग को आईपीआर शिविर, सम्मेलन एवं कार्यशालाओं के आयोजन एवं उपलब्धियों पर प्रतिवेदन तैयार करने एवं प्रेषित करने में विफल रहा।
- विभाग ने राजस्थान राज्य में पेटेंट, कॉपी राइट और डिजाइन के लिए आवेदन भरने के सम्बन्ध में आंकड़े संधारित नही किये। जब पूछताछ की गई तो उसने महानियंत्रक, पेटेन्ट डिजाईन एवं ट्रेड मार्क कार्यालय की वार्षिक रिपोर्टो के आंकड़ों (2016-18) को उद्धृत किया।
- विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि *''विभाग एक ऐसी प्रणाली बनायेगा जो बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को सृजित करने एवं उनकी रक्षा करने के लिए आविष्कारकों को बढ़ावा दे सके।''* तथापि, इस उद्देश्य को लागू करने की कोई कार्ययोजना उपलब्ध नही थी। इसके अलावा, विभाग ने 16 प्रकरणों की एक सूची उपलब्ध कराई, जहां इसने सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था को पेटेन्ट दाखिल करने में सहायता की थी। यह दर्शाता है कि इस सम्बन्ध में विभाग की भूमिका नगण्य रही।
- पाँच विश्वविद्यालयों में से, दो विश्वविद्यालयों[30] ने आईपीआर प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए।
- संचालन समिति द्वारा की गई इन प्रकोष्ठों की त्रैमासिक समीक्षा के समर्थन में कोई दस्तावेज अभिलेखों में नही पाया गया।

इस प्रकार, आईपीआर प्रकोष्ठ की स्थापना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ था।

[30] जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।

## 8.2.10 निगरानी

### 8.2.10.1 सहायतार्थ अनुदान स्वीकृतियों की निगरानी

सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों के नियम 281 (v) से (vii) के अनुसार, जब तक कि सरकार द्वारा अन्यथा आदेशित नहीं किया जाता है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जारी प्रत्येक गैर-आवर्ती अनुदान निम्नलिखित निहित शर्तों के अधीन हैः

- अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों के साथ-साथ स्वीकृतिदाता प्राधिकारी को राशि ₹ 1000 से अधिक की स्थायी एवं अर्ध-स्थायी परिसंपत्तियों, पूंजीगत प्रकृति की अचल एवं चल सम्पति के लिए निर्धारित प्रारूप में एक रजिस्टर का संधारण करना होगा, जिनको पूर्णतया अथवा मुख्यतया सरकारी अनुदान से खरीदा गया हो ।
- इस तरह के रजिस्टर को अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं को संधारित करना होगा तथा इसकी एक प्रति वार्षिक रूप से स्वीकृतिदाता प्राधिकारी को प्रेषित की जाएगी ।
- यह अभिलेख स्थायी प्रकृति का होगा तथा अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था द्वारा शर्त संख्या (v) की पालना में प्रस्तुत की गई वार्षिक रिटर्न के आधार पर भरा जाएगा ।
- उल्लेखित रजिस्टर लेखापरीक्षा को जांच हेतु उपलब्ध कराया जाएगा ।

अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ कि विभाग ने नैनो प्रौद्योगिकी हेतु उत्कृष्टता केन्द्र, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, सेनेटरी नैपकिन पायलट प्रोजेक्ट, ग्रामीण प्रौद्योगिकी व्यापार उष्मायन (Incubation), सैटकॉम कोचिंग सेंटर आदि जैसी योजनाओं का संचालन किया तथा उनके लिए विभिन्न संस्थानों / विभागों को अनुदान जारी किया गया । हालांकि, विभाग के पास विभिन्न संस्थानों / विभागों को जारी अनुदान में से उनके द्वारा बनाई गई परिसंपत्तियों का समेकित आंकड़ा उपलब्ध नही था ।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (अक्टूबर 2019) किया तथा अवगत कराया कि निर्धारित प्रारूप में परिसंपत्ति रजिस्टर का संधारण कर लिया जाएगा ।

### 8.2.10.2 अनुदान रजिस्टर का संधारण

सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों के नियम 287 (सी) के तहत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा एक अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाएगा ।

अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2018) में विदित हुआ कि विभाग द्वारा ऐसा कोई रजिस्टर संधारित नहीं किया गया था ।

लेखापरीक्षा द्वारा आक्षेपित किए जाने (जुलाई 2019) पर राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2019) तथा अवगत कराया कि निर्धारित प्रारूप में एक समेकित अनुदान रजिस्टर का संधारण कर लिया जाएगा ।

### 8.2.10.3 वितरित सहायतार्थ अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र

सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों के नियम 281 के अनुसार, जब तक कि यह सरकार द्वारा अन्यथा आदेशित नहीं किया जाता है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जारी प्रत्येक गैर-आवर्ती अनुदान इस शर्त के अधीन होगा कि अनुदान को, उस उद्देश्य पर उचित समय में खर्च किया जाएगा, यदि स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई हो । नियम

282(1) के अनुसार, उचित समय को अनुदान स्वीकृत करने हेतु जारी पत्र की तिथि से 'एक वर्ष' माना जाएगा।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 202 प्रकरणों में राशि ₹ 6.30 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) मार्च 2019 तक प्राप्त नहीं हुए थे। अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं द्वारा एक से नौ वर्ष तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करना; विभाग के स्तर पर उचित निगरानी की कमी का प्रतिबिंब है।

लेखापरीक्षा द्वारा आक्षेपित किए जाने (जुलाई 2019) पर राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (अक्टूबर 2019) किया तथा अवगत कराया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र के लंबन (Pendency) को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे है।

### 8.2.11 मानव संसाधन प्रबन्धन

विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा नियम 1986 (विशेष चयन सेवा नियम) के माध्यम से अर्थात् विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं वैज्ञानिक संस्थानों से प्रतिनियुक्ति पर परियोजना निदेशकों, परियोजना अधिकारियों, अनुसंधान अधिकारियों का चयन किया। इसका तात्पर्य यह है कि विभाग में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का स्थायी कार्यकाल नहीं था।

स्थायी कैडर नियमों को अब तक (अक्टूबर 2019) नहीं बनाया गया है। इस सम्बन्ध में 2009 में एक शुरुआत की गई थी तब कैडर नियमों के निर्धारण का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह तर्क दिया गया था कि स्थायी कैडर नियमों को नहीं बनाये जाने के कारण अधिकारी विभाग के साथ जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे थे, जिसके कारण विभिन्न योजनाओं की प्रगति कम थी। 2012-13 के दौरान विधान सभा में आश्वासन दिया गया कि कैडर नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया प्रगतिरत थी तथा इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जयपुर ने अपने निर्णय (जनवरी 2017) में भी राजस्थान सरकार को निर्देश दिया था कि विभाग में अधिकारियों के स्थायी चयन के लिए नियम बनाए जाएं ताकि कार्यकाल की निरंतरता प्रदान की जा सके। उपरोक्त प्रयासों के बावजूद, कैडर नियमों को अभी तक (अक्टूबर 2019) अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा बताया जाने (जुलाई 2019) पर राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (अक्टूबर 2019) किया तथा अवगत कराया कि कैडर नियमों का गठन अंतिम चरण में है।

### 8.2.12 निष्कर्ष

विभाग वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि आवंटित बजट का केवल 45.65 प्रतिशत उपयोग किया गया था, तथा सैटकॉम प्रभाग की विभिन्न परियोजनाओं के लिए राज्य योजना मद के तहत 2015-16 से 2018-19 के दौरान आवंटित सम्पूर्ण बजट को समर्पित कर दिया गया।

विभाग के पास विभागीय नियमावली नहीं थी। विभाग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी नीति 2015 के अलावा कोई व्यापक नीति (दीर्घकालिक / अल्पाकालिक) एवं मार्गदर्शन सिद्धांत तैयार नहीं किए गए थे तथा इस नीति के उद्देश्यों को भी प्राप्त नहीं किया जा सका। विभाग द्वारा उन क्षेत्रों

की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण / अध्ययन नहीं किया जिनमें राज्य के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सके ।

विभाग जैव-प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र , जोधपुर एवं नैनो-प्रौद्योगिकी केन्द्र, जयपुर को संचालित नहीं कर सका तथा सैटकॉम कोचिंग योजना एवं विज्ञान क्लबों के तहत प्रगति न्यूनतम थी । विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली खराब थी क्योंकि विभिन्न संस्थाओं / विभागों को विभाग द्वारा जारी अनुदान मे से उनके द्वारा बनाई गई परिसंपत्तियों के सम्बन्ध में समेकित आंकड़ें उपलब्ध नही थे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त नहीं हुए थे । मानव संसाधन (एचआर) प्रबन्धन को सुव्यवस्थित नहीं किया गया क्योंकि विभाग की स्थापना के 36 वर्ष बाद भी कैडर नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका तथा तकनीकी पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा पूरा किया जा रहा था ।

विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के तहत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि ₹ 29.93 करोड़ को 2016-19 के दौरान समर्पित कर दिया । इस प्रकार यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को प्रयोग करते हुए समाज के कमजोर वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने तथा समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकास करने के इसके मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। विभाग में व्याप्त खराब दक्षता मानकों को देखते हुए, जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये के अनुदानों को समर्पित किया गया, इसके द्वारा लागू कुछ परियोजनाओं की निगरानी नही होना तथा उपयोगकर्ता विभाग के साथ समन्वय की कमी के परिप्रेक्ष्य में विभाग के अस्तित्व को बनाए रखने के औचित्य की समीक्षा की आवश्यकता है ।

### 8.2.13 सिफारिशें

- *विभाग दीर्घकालिक नीतियों एवं प्रक्रिया को शामिल करने एवं इसको दिए गए अधिदेश की क्रियान्विति हेतु एक व्यापक नियमावली बना सकता है ।*
- *विभाग को अध्ययन/सर्वेक्षण आयोजित किये जाने चाहिये ताकि विशिष्ट समस्याओं की पहचान की जा सके तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक स्थिति के उत्थान हेतु उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किया जा सके ।*
- *विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि अनुदानों का सही तरह से तथा समय पर प्रयोग किया जावे ।*
- *विभाग कैडर नियमों को प्राथमिकता पर तैयार कर सकता है ताकि महत्वपूर्ण पदों पर स्थायी आधार पर भर्ती की जा सके और विभाग की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके एवं निगरानी की जा सके ।*
- *विभाग विद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षण की स्थिति का मूल्यांकन कर सकता है तथा विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षा विभाग के साथ समन्वय में एक कार्य योजना तैयार कर सकता है ।*

**लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग**

## 8.3 मूल्य वृद्धि की गणना सुनिश्चित किये बिना अंतिम विपत्रों के भुगतान के कारण संवेदकों को किया गया अधिक भुगतान / अतिरिक्त भुगतान

लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग द्वारा मूल्य वृद्धि क्लॉज के तहत उचित समायोजन किए बिना अंतिम विपत्रों का भुगतान किया गया, मूल्य वृद्धि दावों का भुगतान एवं गणना गलत थोक मूल्य सूचकांक आधारित वर्षों के आधार पर की गई एवं वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक के बजाय तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक को गलत रूप से आधार दिवस मानने के कारण संवेदकों को अधिक भुगतान किया गया।

- लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम[31] के सम्बद्ध प्रावधान एवं केंद्रीय सड़क निधि योजनान्तर्गत (राज्य सड़के) राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना के अधीन प्रायोजित कार्य से सम्बन्धित नियमों[32] द्वारा अनुबन्ध की राशि में वृद्धि एवं कमी और श्रम, माल, ईंधन एवं ल्यूबरिकेंट तथा अन्य कार्योपयोगी वस्तुओं की कीमत में समायोजन का निर्धारण किया जायेगा।
- वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने निर्देशित किया (मई 2004) है कि "यदि निविदाएँ खोलने की दिनांक को प्राप्त दरों को स्वीकार किया जाता है, तो मूल्य समायोजन के लिए निविदा खोलने की दिनांक पर विचार किया जाएगा।"
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ), भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) नई श्रृंखला के आधार वर्ष 2011-12 को दृष्टिगत करते हुए जारी कार्यालय ज्ञापन (जून 2018) जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि अप्रेल 2017 से पहले जारी किये गये कार्यादेश थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला 2004-05 के अन्तर्गत संचालित किये जाएंगे एवं थोक मूल्य सूचकांक की श्रृंखला 2011-12 उन कार्यो के लिए उपयोग की जाएगी जो कार्य मार्च 2017 के पश्चात् सम्पादित किये गये है।
- इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा मूल्य वृद्धि क्लॉज में अनियमितताओं के प्रकरण संदर्भित किये जाने (नवम्बर 2015) पर मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग (लोनिवि), राजस्थान द्वारा (जनवरी 2016, अप्रेल 2016, जून 2016, सितम्बर 2016 एवं फरवरी 2018) क्षेत्रीय खण्डों को मूल्य विचलन खण्ड का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देशित किया गया एवं आदेश दिया कि बिना मूल्य वृद्धि के समायोजन किये अंतिम विपत्र का भुगतान न किया जाए तथा सरकार को हुई वित्तीय अनियमितता/वित्तीय हानि के लिए संभागीय लेखाकार / संभागीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

---

[31] लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के परिशिष्ट XI के खंड 45, केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) योजना के तहत प्रायोजित कार्यों के लिए विशेष बोली दस्तावेजों (एसबीडी) के अनुबन्ध की विशेष शर्तों (एससीसी) का खंड 47 और राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना के लिए अनुबन्ध की विशेष शर्तों (एससीसी) का खंड 47

[32] मूल्य वृद्धि की स्वीकार्यता के लिए सामान्य शर्तों की शर्त संख्या 4, खंड 4 की शर्त संख्या 26 (अनुबन्ध डेटा) और 47 (एच) क्रमशः विभिन्न आदानों के गुणांक और बिलों की मात्रा के विभिन्न कार्यक्रम (बीओक्यू) के सूचकांकों का संकेत देते हैं और यह निर्धारित करते हुए कि जब तक कि एससीसी में अन्यथा न कहा गया हो, मूल्य समायोजन हर तिमाही / प्रत्येक मासिक आईपीसी (जैसा भी मामला हो) में किया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग के नमूना परीक्षित खण्डों के अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ कि उपरवर्णित निर्देशों की अनुपालना नहीं किए जाने के कारण मूल्य वृद्धि का अतिरिक्त / अधिक भुगतान हुआ जिसका वर्णन निम्न प्रकार है:

(**₹ करोड़ों में**)

| विभाग | खण्ड का नाम | कार्य का नाम<br>अनुबन्ध राशि | मूल्यवृद्धि के पेटे भुगतान राशि | राशि जिसका भुगतान किया जाना था | अधिक भुगतान | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लोक निर्माण विभाग | खानपुर | Package No. RJ19-WB-RRSMP-43<br>₹ 15.95 करोड़ | - | (-) 0.83 | 0.83 | पूर्व में भुगतान किए गए मूल्य वृद्धि के समायोजन के बिना अंतिम बिल पारित किया गया। लेखापरीक्षा आक्षेप के पश्चात वसूली की गई। |
| लोक निर्माण विभाग | छबड़ा | RIDF-XX Package No. RJ-04-03/Non-Patchable/RIDF-20/5054/2014-15<br>₹ 18.57 करोड़ | - | (-) 0.48 | 0.48 | पूर्व में भुगतान किए गए मूल्य वृद्धि के समायोजन के बिना अंतिम बिल पारित किया गया। लेखापरीक्षा आक्षेप के पश्चात वसूली की गई। |
| लोक निर्माण विभाग | निम्बाहेड़ा | CRF Job No. CRF-844/ RJ/ 2015-16<br>₹ 46.70 करोड़ | 0.244 | 0.00002 | 0.24 | खण्ड द्वारा 2004-05 के थोक मूल्य सूचकांक के बजाए 2011-12 थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मूल्य वृद्धि का भुगतान किया गया।<br>खण्ड द्वारा उपयोग लिये गये बिटुमिन एवं किये गये कार्य की कम मात्रा पर भी विचार करने के कारण अधिक भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा आक्षेप के पश्चात वसूली की गई। |
| | | CRF Job No. CRF-864 /RJ /2015-16)<br>₹ 16.54 करोड़ | 0.24 | 0.16 | 0.08 | |
| लोक निर्माण विभाग | अलवर खण्ड-I | CRF Job No. CRF-844/ RJ/ 2015-16<br>₹ 21.21 करोड़ | 1.67 | 0.71 | 0.96 | खण्ड द्वारा तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक को आधार दिनांक मानते हुए मूल्य वृद्धि का भुगतान किया गया। वसूली लम्बित रही है। |
| जल संसाधन विभाग | बून्दी | Bada Naya Gaon Minor Irrigation Project<br>₹18.57 करोड़ | 0.65 | 0.45 | 0.19 | खण्ड द्वारा तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक को आधार दिनांक मानते हुए मूल्य वृद्धि का भुगतान किया गया। वसूली लम्बित रही है। |

- राज्य सरकार द्वारा 5 प्रकरण में से 3 प्रकरणों में अधिक / अतिरिक्त भुगतान स्वीकार किया गया एवं सूचित किया गया कि लोनिवि खण्ड खानपुर, लोनिवि खण्ड छाबड़ा एवं लोनिवि

खण्ड, निम्बाहेड़ा द्वारा आक्षेपित राशि ₹ 1.64 करोड़[33] की वसूली कर ली गई है जबकि लोनिवि खण्ड-I अलवर एवं जल संसाधन विभाग खण्ड बूंदी द्वारा ₹ 1.15 करोड़ का अधिक भुगतान अस्वीकार किया गया ।

- राज्य सरकार ने इसके उत्तर में कहा (अगस्त 2019) कि लोनिवि खण्ड,-I अलवर द्वारा मूल्य वृद्धि का भुगतान वित्त विभाग द्वारा जारी ज्ञापन एवं परिपत्र (मई 2004 और जुलाई 2018) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया गया । इसके अलावा तकनीकी बोली खोलना निविदा प्रक्रिया का प्रारम्भिक चरण है एवं वित्तीय बोली तकनीकी बोली खोलने के पश्चात कभी भी खोली जा सकती है । वित्तीय बोली खोलने में हुई देरी के लिए, यदि हो तो, संवेदक को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता ।

- जल संसाधन विभाग, बूंदी द्वारा किये गये अतिरिक्त भुगतान के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कहा (सितम्बर 2019) कि मूल्य वृद्धि के उद्देश्य से निविदा खोलने सम्बन्धी प्रावधान लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के खंड 45 में उपलब्ध नहीं है एवं विभाग जैसे कि राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा मूल्य वृद्धि की गणना के लिए तकनीकी बोली खोले जाने की दिनांक को आधार दिनांक मानने के लिए आदेश दिये गये । इसके अलावा, यह उल्लेख किया गया था कि भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 4 यह बताता है कि जबसे निविदा खोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है, विभाग पहले दिन से ही सफल निविदा को स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होता है अतः निविदा खोलने की तारीख पर विचार करते हुए मूल्य वृद्धि का भुगतान किया गया ।

- उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि वित्त विभाग द्वारा जारी ज्ञापन (मई 2004) स्वतः व्याख्यात्मक है जो कि यह बताता है कि यदि निविदा खोलने की दिनांक को प्राप्त दरों को स्वीकार किया जाता है तो मूल्य समायोजन के लिए निविदा खोलने की तारीख मान्य होगी । इस प्रकार, जैसा कि तकनीकी बोली को खोलने की तारीख पर दरे प्राप्त नहीं हुई है, जब दरें पहली बार ज्ञात हुई है वित्तीय बोली खोलने की तारीख को ही आधार दिनांक माना जाना चाहिए । वित्त विभाग का जुलाई 2018 का परिपत्र इस प्रकरण में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि यह पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं रखता है । इसके अलावा, लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों की व्याख्या करने की शक्तियां वित्त विभाग में निहित है एवं इसलिए विभाग को अन्य एजेंसियों द्वारा की गई व्याख्या पर निर्भर नही चाहिए ।

इसके अलावा, यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि ये लेखापरीक्षा निष्कर्ष केवल चयनित खण्ड के प्रकरणों के विश्लेषणों पर आधारित हैं और यह भी संभावना है कि शेष खण्डों में भी इस प्रकार के प्रकरण घटित हो रहे हो । इसलिए सरकार से यह आशा की जाती है कि उन अन्य सभी प्रकरणों की समीक्षा करे जहां इस तरह की कमियां/अनियमितताओं की संभावना है एवं सुधारात्मक कार्य किये जाने की आवश्यकता है ।

---

[33] लोनिवि स्वानपुर ने ₹ 82.04 लाख वाऊचर नम्बर 661 दिनांक 9/1/2019 एवं ₹ 0.74 लाख डीडी 460465 दिनांक 2/1/2019 से वसूल किये। खण्ड छबड़ा ने ₹ 47.29 लाख वाऊचर नम्बर 90 दिनांक 31/3/2018 से वसूल किये और लोनिवि निम्बाहेड़ा ने ₹ 32.53 लाख वाऊचर नम्बर 67040 दिनांक 11/12/2019 से वसूल किये ।

## 8.4 निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर ग्रामीण गौरव पथ सड़कों के निर्माण पर अनियमित व्यय

योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, लोक निर्माण विभाग द्वारा अतिरिक्त चौड़ाई, मोटाई में एवं उन क्षेत्रों में जहां योजना के दिशानिर्देश उनकी निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान नहीं करते थे, राज्य तकनीकी एजेंसी से डिजाईन तथा सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना सड़कों का निर्माण किया गया।

- ग्रामीण गौरव पथ राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जो कि 2014 में प्रारम्भ की गई थी। ग्रामीण गौरव पथ योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में साफ एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने हेतु सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़क एवं नाली का निर्माण करना एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर यात्रियों के लिए क्षतिरहित सड़कें उपलब्ध कराना है। इस योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की लम्बाई का दायरा 0.5 किलोमीटर (किमी) से 2.00 किमी तक है। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के लिए सड़क निर्माण हेतु औसत 1.00 किमी लिया गया है। कुल 6820 ग्रामीण गौरव पथ कार्यों में 6427.49 किमी सड़क निर्माण हेतु कुल ₹ 2994.12 करोड़ का व्यय किया गया है (दिसम्बर 2019 तक)।

सड़कें निम्नलिखित विशिष्टिताओं के तहत बनायी जानी थीः

(i) ग्रामीण गौरव पथ योजना के अन्तर्गत 3.75 मीटर चौड़ी एवं 150 मिलीमीटर (मिमी) मोटी सीमेंट कंक्रीट रोड़ के लिए ही प्रस्ताव तैयार किये जाने चाहिए।

(ii) क्षेत्रीय खण्ड निकटतम राजकीय अभियांत्रिकी कॉलेज, राज्य तकनीकी एजेंसी (एसटीए) द्वारा तैयार किये गये सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के डिजाईन प्राथमिकता से प्राप्त करे और यदि एसटीए से प्राप्त डिजाईन के अनुसार सीसी पेवमेंट की मोटाई 150 मिमी से अधिक है तो मुख्य अभियन्ता (सड़क) की अनुमति सीसी पेवमेंट के निष्पादन से पूर्व प्राप्त की जाएगी।

(iii) पंचायत मुख्यालय (पीएचक्यू) जो कि राज्य हाईवे/जिला मुख्य सड़क (एमडीआर) पर स्थित है एवं जो सड़के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्रस्तावित है, को ग्रामीण गौरव पथ के प्रस्तावों में नहीं लिया जाना चाहिए।

(iv) ग्रामीण गौरव पथ सड़कों की चौड़ाई 3.75 मीटर से अधिक हो सकती है यदि मौजूदा सड़क की चौड़ाई अधिक है। यद्यपि उस स्थिति में रोड़ की लम्बाई इस सीमा तक कम करनी होगी कि सीसी एम 30 की प्रयुक्त मात्रा बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) में दर्शित कुल सीसी एम 30 की मात्रा से अधिक न हो। प्रमुख शासन सचिव, लोनिवि, राजस्थान द्वारा आगे यह चेतावनी दी गई कि सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता किसी भी अनियमित निष्पादित कार्य के लिए जिम्मेदार होंगे।

लोनिवि खण्डों के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा द्वारा निम्न प्रकरणों में योजना के दिशानिर्देशों का पालन न करने एवं ग्रामीण गौरव पथ सड़कों के अनियमित निर्माण उजागर हुए हैंः

I. लोनिवि खण्ड, भवानी मंडी द्वारा ऊपर वर्णित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एसटीए द्वारा डिज़ाइन अनुमोदन प्राप्त किये बिना IRC: 58-2002 जो कि हाईवे डिज़ाइन निर्माण पर लागू होती है को मानते हुए 150 मिमी सीसी पेवमेंट की बजाए 200 मिमी मोटी सीसी पेवमेंट

की नौ सड़कों[34] का निर्माण किया गया । जिसके परिणामस्वरूप ***परिशिष्ट 8.2*** में दर्शित विवरण के अनुसार ₹ 0.70 करोड़ का अनियमित एवं अपरिहार्य व्यय किया गया । लेखापरीक्षा द्वारा आक्षेपित किये जाने पर लोक निर्माण विभाग ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2019) कि यातायात भार एवं झालावाड़ की मिट्टी काली कपास मिट्टी होने के कारण सीसी पेवमेंट का डिजाईन 200 मिमी अनुमोदित किया गया । इसके अलावा, उनके द्वारा प्रमुख शासन सचिव, लोनिवि, राजस्थान द्वारा दिये गये निर्देशों का (मार्च 2015) उल्लेख करते हुए कहा गया कि 200 मिमी मोटाई की सड़क का निर्माण साइट के अनुसार मुख्य अभियंता (सड़क), लोनिवि, राजस्थान की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है । राज्य सरकार ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2019) में 200 मिमी सीसी पेवमेंट निर्माण के लिए मुख्य अभियंता, लोनिवि, राजस्थान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रस्तुत की लेकिन उनके द्वारा गलत आईआरसी के चयन एवं एसटीए द्वारा डिजाईन अनुमोदित नही किये जाने के मुद्दे पर कोई जवाब नही दिया गया ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मुख्य अभियंता (सड़क) द्वारा निर्देशित किया गया (जनवरी 2015) था कि यदि सीसी पेवमेंट की मोटाई एसटीए से प्राप्त डिजाईन के अनुसार 150 मिमी से ज्यादा हो तो सीसी पेवमेंट के कार्य निष्पादन से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए थी । विभाग के द्वारा आठ सड़कों के प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि डिजाईन एसटीए से प्राप्त नहीं किए गए थे । इसके अलावा, इन कम यातायात भार की ग्रामीण सडकों के निर्माण की डिजाईन आईआरसीः 58-2002 दिशानिर्देशों पर आधारित थी । यद्यपि ये दिशानिर्देश सरल मिश्रित कठोर पेवमेंट जो कि उच्च भार के हाईवे सड़कों की डिजाईन के लिए उपयुक्त थे एवं आईआरसीः 58-2002 स्वतः ही कम भार के ग्रामीण सडकों की डिजाईन के लिए प्रतिबंधित करता है । इन कम भार वाली ग्रामीण सड़कों के लिए आईआरसी : SP: 62-2014 उपयुक्त थी ।

II. लोनिवि, खण्ड केकड़ी द्वारा दो सड़कों का निर्माण कार्य[35] करने पर ₹ 78.84 लाख[36] का व्यय किया । यह सड़कें क्रमशः खुले क्षेत्र में जहां कोई बस्ती नही थी एवं जिला मुख्य सड़क पर स्थित थी । सड़क एसएच -7 ई किलोमीटर 7/200 से मारोग्ला गणेशपुरा तिराहा के गूगल मानचित्र द्वारा प्राप्त इमेज यह इंगित करती है कि योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सड़क का निर्माण बस्ती क्षेत्र के बाहर खुले क्षेत्र में किया गया । राज्य सरकार ने इसके उत्तर में कहा (अक्टूबर 2019) कि मुख्य अभियंता के सितम्बर 2014 के निर्देश लोनिवि खण्ड, केकड़ी द्वारा एसएच -7 ई किलोमीटर 7/200 मारोग्ला गणेशपुरा तिराहा पर निर्मित ग्रामीण गौरव पथ सड़क पर लागू नही होता है क्योंकि यह एक बाईपास सड़क है तथा राज्य हाईवे नही है । इसके अलावा, नागोला पंचायत मुख्यालय (पीएचक्यू) पर केकड़ी बिजयनगर सड़क (किमी 29/00 से 30/00) पर ग्रामीण गौरव पथ सड़क का निर्माण घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र में किया गया जो कि गांव की अधिकतम जनसंख्या को लाभान्वित करेगा ।

---

[34] पैकेज संख्या आरजे/ 19/04/5054/जीजीपी सड़क/प्लान 2016-17

[35] पैकेज संख्या आरजे/ 01/03/जीजीपी-III/प्लान 2017-18 अर्थात एसएच 7-ई किमी 7/200 से मारोग्ला गणेशपुरा तिराहा सड़क (फतेहगढ़ गांव में बाईपास) और केकड़ी बिजयनगर सड़क (किमी 29/00 से 30/00) (पीएचक्यू नागोला))

[36] ₹ 27,79,148/- + ₹ 43,40,541/- = ₹ 71,19,690 घटाये टी पी @2 प्रतिशत = ₹ 69,79,296/- जोडे प्रोराटा @13 प्रतिशत = ₹ 9,07,048 कुल व्यय = ₹ 78,84,344/-

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ग्रामीण गौरव पथ सड़क का निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों के मुख्य भाग में पानी एवं कीचड़ मुक्त गुणवत्ता की सड़क प्रदान करना था जिससे अधिकतम आबादी को लाभ प्राप्त हो सके । वर्णित दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रामीण गौरव पथ सड़क का निर्माण खुले क्षेत्र / उच्च श्रेणी सड़क पर प्रतिबंधित था । इसके अलावा, ग्रामीण गौरव पथ कार्य के लिए जारी दिशानिर्देश (अप्रैल 2018) लेखापरीक्षा मत को मजबूती प्रदान करते हैं जिसमें यह वर्णित था कि ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण खुले क्षेत्र तथा मुख्य जिला सड़क पर नहीं किया जाना है ।

III. लोनिवि खण्ड, नागौर में मौजूदा सड़कों की चौड़ाई 3.75 मीटर होने के बावजूद भी खण्ड ने निर्देशों/योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, 5.50 मीटर चौड़ी सड़कों का निर्माण किया एवं इस प्रकार अनियमित व्यय ₹ 1.42 करोड़ (***विवरण परिशिष्ट 8.3 और 8.4 में दिया गया है***) किया । लोनिवि खण्ड, नागौर ने कहा (फरवरी 2019) कि निर्मित ग्रामीण गौरव पथ सड़कों[37] पर यातायात घनत्व बहुत अधिक था एवं 3.75 मीटर सड़क की कैरिज वे की चौड़ाई ग्रामीणों, जानवरों एवं वाहनों के आवागमन के लिए अपर्याप्त थी और यह सड़क नजदीकी घरों द्वारा छोड़े गए नाली के पानी के कारण जलमग्न रहती थी । अतः ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और विधान सभा के सदस्य की मांगों पर, 5.50 मीटर चौड़ी सड़कों का निर्माण किया गया । राज्य सरकार ने इसके जवाब (नवम्बर 2019) में कहा कि गांव जहां ग्रामीण गौरव पथ सड़क का निर्माण किया गया, खनन क्षेत्र के बिल्कुल समीप है एवं अतिभारित भारी वाहन इन सड़कों पर चलते है एवं प्रमुख शासन सचिव के निर्देश (मार्च 2015) को ध्यान में रखते हुए एवं मौजूदा सड़कों का सर्वेक्षण / निरीक्षण, जो 5.50-मीटर चौड़ी थी, प्रस्ताव तकनीकी रूप से आवश्यक था और योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार की गई थी और ग्रामीण गौरव पथ सड़क का निर्माण तकनीकी स्वीकृति और बीओक्यू के अनुसार किया गया । राज्य सरकार ने यह भी कहा कि गंगवाना और चुंटीसरा ग्रामीण गौरव पथ सड़क की चौड़ाई यात्री कार ईकाई (पीसीयू) जो 2000 से अधिक होने से यातायात भार के कारण बढ़ाई गई ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यों की स्वीकृति के पूर्व के 10 ग्रामीण गौरव पथ सड़कों के रैखिक चार्ट तैयार किये गये जो दर्शाते हैं कि मौजूदा सड़कों की चौड़ाई 3.75 मीटर थी न कि 5.50 मीटर जैसा कि सरकार द्वारा उत्तर में दावा किया है । इसके अलावा राज्य सरकार ने जवाब के समर्थन में 5.50 मीटर चौड़ी ग्रामीण गौरव पथ सिनोद, चैनार, टंकला, छिलो, हनुमान नगर, रोहिणी और सिंगाड के रैखिक चार्ट संलग्न किये लेकिन लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध इन सड़क के रैखिक चार्ट के अनुसार, इनकी चौड़ाई केवल 3.75 मीटर थी । इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 2000 पीसीयू का नियम बीटी सड़कों के लिए लागू होता है न कि सीसी सड़कों के लिए । आईआरसी विनिर्देशों एसपीः 62-2014 के अनुसार प्रतिदिन 450 व्यवसायिक वाहन के भार हेतु ग्रामीण सड़कों की चौड़ाई 3.75 मीटर निर्धारित थी जबकि गंगावना और चुंटीसरा ग्रामीण गौरव पथों के प्रकरण में व्यवसायिक वाहन प्रतिदिन (सीवीपीडी) क्रमशः 323 और 341 था ।

[37] पैकेज संख्या आरजे/ 24/14/जीजीपी-II/प्लान 2016-17 एवं आरजे/ 24/15/जीजीपी-II/प्लान 2016-17

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि विभाग ने योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ग्रामीण गौरव पथ सड़कों का निर्माण किया और ₹ 2.91 करोड़ का अनियमित व्यय किया ।

इसके अलावा, यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि लेखापरीक्षा निष्कर्ष केवल चयनित खण्डों में प्रकरणों के विश्लेषण पर आधारित हैं यह भी संभावना है कि इस प्रकार के प्रकरण शेष खण्डों में भी घटित हो रहे हो इसलिए सरकार से आशा की जाती है कि अन्य सभी प्रकरण जिसमें इस तरह की कमियां / अनियमितताओं की संभावना है, की समीक्षा करे एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करे ।

## 8.5 सशर्त बोली की स्वीकृति एवं निविदाओं के अनुचित तकनीकी मूल्यांकन/ प्रसंस्करण की स्वीकृति के परिणामस्वरूप अनियमित व्यय

लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुचित निविदा मूल्यांकन कर सशर्त प्रस्तावों पर और उन अयोग्य निविदादाताओं को जिन्होंने उचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये थे, अनियमित रूप से कार्य आवंटित किए गए ।

अ. लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 29 यह निर्धारित करता है कि संवेदक केवल बिना शर्त निविदाओं को ही प्रस्तुत करेगा । सशर्त निविदाएं सरसरी तौर पर निरस्त होने के लिए उत्तरदायी हैं । मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा निर्देश जारी किये गये (दिसम्बर 2009) कि ₹ 150 लाख और अधिक की निविदाओं के लिए दर विश्लेषण प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

- लोनिवि खण्ड-II, सवाई माधोपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2018) से विदित हुआ कि चार संवेदकों[38], जिन्होने निविदा में भाग लिया था, मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोनिवि, राजस्थान द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना नही की जिसके अनुसार दर विश्लेषण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था । दर विश्लेषण प्रस्तुत करने के बजाय, संवेदकों ने सशर्त पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा कि दर विश्लेषण तभी प्रस्तुत किया जाएगा यदि उनकी सम्बन्धित फर्म न्यूनतम बोलीकर्ता आती है । इस तथ्य के बावजूद कि सशर्त प्रस्ताव सरसरी तौर पर निरस्त किये जाने थे विभाग ने उन पर विचार किया एवं निविदाओं को अंतिम रूप दिया ।

उक्त प्रकरण राज्य सरकार की टिप्पणी हेतु प्रेषित किया गया (मार्च 2019) । लोक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार ने इसके जवाब में कहा (अप्रैल 2019) कि:

➢ सभी फर्म जिन्होने निविदा में भाग लिया था एक सशर्त घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था कि यदि फर्म एल-1 बनती है तभी वे दर विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे । यह सशर्त घोषणा पत्र निविदा स्वीकृति पर कोई भी वित्तीय अथवा तकनीकी प्रभाव नही रखता है ।

➢ टेन्डर प्रीमियम जो कि बीएसआर 2014 पर आधारित "जी" अनुसूची से 15.51 प्रतिशत कम पर प्राप्त हुआ को ध्यान में रखते हुए, दर विश्लेषण प्राप्त करना उचित प्रतीत नही होता है । यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कार्य पूर्ण हो चुका है ।

[38] ग्रामीण गौरव पथ (जिला सवाई माधोपुर में पैकेज नम्बर आरजे/28/02/जीजीपी II /2016-17)

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदा दस्तावेजों के साथ दर विश्लेषण प्रस्तुत करना अनिवार्य था एवं सशर्त प्रस्ताव नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है; इसलिए निविदाकर्ताओं के प्रस्तावों को सरसरी तौर पर निरस्त करना आवश्यक था। इसके अलावा, ऐसा कोई भी साक्ष्य अभिलेखों में मौजूद नहीं है कि विभाग ने सशर्त प्रस्तावों को उचित कारण एवं आवश्यक सावधानी के पश्चात अन्तिम रूप दिया था। अब दिये जा रहे तर्क बाद की सोच की प्रकृति के है। इस प्रकार सशर्त निविदाओं को प्रसंस्करण करना लोक निर्माण वित्तीय और लेखा नियमों एवं मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, लोनिवि द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के कारण अनियमित था।

ब. प्रमुख शासन सचिव (लोनिवि) राजस्थान ने, अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा तकनीकी मूल्यांकन में आई कमी को देखते हुए निर्देशित किया (मार्च 2015) कि सभी संवेदक जिन्होने निविदा में भाग लिया है, के द्वारा तकनीकी बोली मूल्यांकन जांच सूची में दर्शित सूचनाओं के साथ वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ, टेक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र इत्यादि जमा कराना सुनिश्चित करे। इसके अलावा, धारा-1 के खंड 4.4.5 अर्थात केंद्रीय सड़क निधि कार्यों के मानक निविदा दस्तावेज के बोलीदाताओं के आदेश में उल्लेख है कि आवेदक के पास पूर्ण कार्य के दौरान उपकरणों के मुख्य मदों का स्वामित्व होना चाहिए अथवा स्वामित्व का आश्वासन देवे एवं ज्ञात प्रतिबद्धताओं के आधार पर यह प्रदर्शित करे कि वे सभी प्रस्तावित अनुबंध में उपयोग हेतु उपलब्ध रहेगी।

- भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं उच्चमार्ग मंत्रालय अक्टूबर 2015 में 53 कार्यों की समेकित प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जो कि केन्द्रीय सड़क निधि योजना से वित्त पोषित होगी जिसमें सीकर के फतेहपुर खण्ड[39] में ₹ 12.23 करोड़ के कार्य की स्वीकृति शामिल थी। लोनिवि खण्ड, फतेहपुर ने मैसर्स सुरेंद्र कुमार बंसल, (संवेदक) को कार्यादेश जारी किया (मार्च 2016)। संवेदक को सितम्बर 2018 तक ₹ 11.00 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

खण्ड के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2019) से विदित हुआ कि समिति द्वारा तैयार की गई तकनीकी मूल्यांकन पत्रक द्वारा यह पता चला है कि एल-1 संवेदक मैसर्स सुरेंद्र कुमार बंसल को दो अन्य संवेदकों के साथ "अपर्याप्त टीएंडपी" के कारण "गैर- उत्तर दायी" घोषित किया गया था। बाद में, निविदा मूल्याकंन समिति ने आवेदक द्वारा निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किये गये शपथ पत्रों को स्वीकार कर लिया (जो कि वास्तव में बोली के मूल्यांकन के समय पूर्व में ही मौजूद थे), फर्म को उत्तर दायी बोलीकर्ता घोषित किया गया जो अनियमित एवं निर्धारित योग्यता मानदंडों के विरूद्ध था। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि संवेदक ने 13 संयंत्र व मशीनरी की मदों में से केवल 04 के स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। विस्तृत विश्लेषण ***परिशिष्ट 8.5*** में वर्णित है।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) में कहा कि अनभिज्ञ त्रुटि के कारण 10 बोलीकर्ताओं के निविदा दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच पर, संवेदकों द्वारा बोली मूल्यांकन पत्रक में मौजूद मशीनरी एवं उपकरण की उपलब्धता के बारे में जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, को ध्यान में नही रखा गया और बोलीकर्ता को गैर-उत्तरदायी घोषित कर दिया गया था। इसके

[39] सीकर-सालासर सड़क एसएच-20 (5.50 मीटर से 7 मीटर) किमी 39/00 से 44/00 और अजमेर डीडवाना-सालासर सड़क एसएच-60 (3.75 मीटर से 7 मीटर) किमी 193/500 से 198/500 का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण तथा ग्राम गनेरी सड़क (एसएच 60 पर) के सीसी पेवमेंट के साथ नाली निर्माण का कार्य।

पश्चात् निविदा मूल्यांकन समिति ने संवेदक द्वारा अपलोड किये गये निविदा दस्तावेजों के साथ नोटरी शपथ पत्र की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फर्म को उत्तरदायी घोषित किया एवं यह 8 बोलीकर्ताओं जो कि तकनीकी मापदण्डों पर योग्य घोषित किये गये थे के साथ L-1 बन गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि बोलीकर्ता के पास उपलब्ध प्लांट और मशीनरी के स्वामित्व का प्रमाण, नोटरी शपथ पत्र अपलोड करना ही एकमात्र मापदण्ड/आवश्यकता की क्षमता सत्यापन के लिये है तो विभाग द्वारा मैसर्स दीप ज्योति कंपनी, श्री गंगानगर को "गैर उत्तर दायी" घोषित करना उचित नही है क्योंकि उस फर्म द्वारा भी आवश्यक संयंत्र एवं मशीनरी की उपलब्धता (स्वामित्व या लीज) के सम्बन्ध में नोटरी शपथ पत्र अपलोड किया गया था। इसके अलावा, मैसर्स सुरेंद्र कुमार बंसल टिप्पर ट्रक, फ्रंट एंड लोडर और स्मूथ व्हील्ड रोलर के स्वामित्व को साबित करने में विफल रहे। फर्म ने इन निर्माण मशीनरी के स्वामित्व दस्तावेजों को अपलोड ही नहीं किया और ना ही पट्टे के रूप में दिखाये गये संयंत्र और मशीनरी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए पट्टा अनुबन्ध की पुष्टि की। विभाग को मैसर्स सुरेंद्र कुमार बंसल की बोली को सरसरी तौर पर निरस्त कर देना चाहिए था जैसा कि मैसर्स दीप ज्योति कंपनी के प्रकरण में किया गया था। इस प्रकार,यह देखा जा सकता है कि निविदा के अनियमित प्रसंस्करण के कारण "गैर उत्तर दायी" बोलीकर्ता का चयन हो गया एवं ₹ 11.00 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया।

स. ग्रामीण गौरव पथ योजना के लिये निविदा दस्तावेजों के बोलीकर्ताओं को दिये गये आदेश (आईटीबी) में उल्लेखित है कि बोलीदाताओं को बोली दस्तावेजों की अनुसूची-III में निर्दिष्ट मशीनरी और उपकरणों को तैनात करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा बोलीदाताओं को वैध टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य होगा एवं बोलीकर्ता को बोली की लागत के 10 प्रतिशत के बैंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यदि एक बोली सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ नहीं लगाई जाती है अथवा नियत प्रारूप में नही लगाई जाती है तो यह निरस्त होने के लिए उत्तर दायी है।

- लोनिवि खण्ड, फतेहपुर ने ₹ 3.29 करोड़ के 8 सड़कों[40] के लिए कार्यादेश संवेदक को जारी किया (नवम्बर 2017)। संवेदक को सितम्बर 2018 तक ₹ 2.18 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। कार्य पूर्ण नहीं हुआ (मई 2020)।

खण्ड के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2019) से विदित होता है कि लोनिवि, जोन-I कार्यालय, जयपुर ने निविदा आमंत्रित की एवं मूल्यांकन किया जिसमें सफल बोली लगाने वाले बोलीकर्ता द्वारा जमा किये गये आवश्यक दस्तावेजों की सत्यता / वैधता जांच नही की गई। लेखापरीक्षा ने पाया गया कि संवेदक ने ₹ 40 का बैंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जबकि कम से कम ₹ 40 लाख के बैंक प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। इसके अलावा, निविदा खोलने की तारीख से 6 माह पूर्व तक का ही टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। जबकि संवेदक ने नवम्बर 2016 का टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र जमा कराया जिसकी वैधता दिसम्बर 2016 तक थी। जैसा कि निविदा अगस्त 2017 के माह में खुली थी, संवेदक को फरवरी

[40] पैकेज संख्या आरजे/29/04/5054/ जीजीपी /2017-18 जिला सीकर

2017 अथवा इसके बाद के माह में जारी किये गये टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र जमा कराने चाहिए ।

इसके अलावा, बोली दस्तावेजों की संवीक्षा करने पर विदित हुआ कि संवेदक द्वारा टूल्स, संयंत्र एवं मशीनरी मदों के स्वामित्व के दस्तावेज जमा नही कराये गये थे । संवेदक द्वारा एक शपथ पत्र जो दर्शाता है कि टूल्स, संयंत्र एवं मशीनरी लीज पर उपलब्ध हो जाएंगे, अपलोड किया गया । यद्यपि संवेदक द्वारा जमा किये गये शपथ पत्र पर दोनों दलों के हस्ताक्षर नही थे (अर्थात पार्टी जिससे उपकरण लीज पर लिये जाने थे) न ही कोई नियम व शर्ते थी । यह अनुबन्ध की आवश्यक शर्तों के अनुसार पूर्ण दस्तावेज नही है । प्रकरण को राज्य सरकार की टिप्पणी हेतु संज्ञान में लाया गया (अक्टूबर 2019) ।

राज्य सरकार ने कहा (फरवरी 2020) कि संवेदक द्वारा अपलोड किए गए नोटरी शपथ पत्र को ध्यान में रखते हुए उसे सफल घोषित किया गया । यह भी वर्णित किया गया कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई टैक्स प्रणाली एनआईटी के समय (23/08/2017), रोल आउट (जुलाई 2017) किया गया था एवं संवेदक ने जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र के साथ साथ टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र जो कि दिसम्बर 2016 तक वैध थी, जमा कराया । इसके अलावा, ₹ 40 लाख की बजाए, संवेदक ने ₹ 40 की कार्यशील पूंजी के लिए जारी किया गया प्रमाण पत्र जमा कराया । निविदा मूल्यांकन समिति ने इसे एक टंकन त्रुटि मानते हुए प्रस्ताव को वैध मान लिया क्योंकि बैंक सामान्य तौर पर इस तरह के प्रमाण पत्र लाख में ही जारी करते है ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संवेदक स्वामित्व दस्तावेज एवं वैध पुस्ता लीज अनुबन्ध जो कि टूल्स एवं मशीनरी के लिए था, अपलोड करने में विफल हो गया व अभी तक कार्य पूर्ण नही होना लेखापरीक्षा की राय को मजबूती प्रदान करता है कि संवेदक अयोग्य था । इसके अलावा, जीएसटी का रोल आउट टैक्स क्लीयरेंस प्रमाणपत्र जारी होने पर कोई प्रभाव नहीं रखता है । इसके अलावा, यह जवाब कि समिति ने ₹ 40 के प्रमाण पत्र को ₹ 40 लाख माना, बाद का विचार है क्योंकि इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी समिति की कार्यवाही में उपलब्ध नहीं है । इसके अलावा, यदि संवेदक अंत में कार्य पूर्ण नही करता है तो इस विशेष मूल्य का प्रमाण पत्र स्वीकार करना खतरे से भरा है । विभाग द्वारा निविदा को अंतिम रूप देने से पूर्व बैंक प्रमाण पत्र एवं टैक्स क्लीयरेंस प्रमाणपत्र की सत्यता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

इसके अलावा, यह भी उल्लेखित करना प्रासंगिक है कि यह लेखापरीक्षा निष्कर्ष केवल चयनित खण्डों के प्रकरणों के विश्लेषण पर आधारित हैं एवं यह भी संभावना है कि इस प्रकार के शेष खण्डों में भी घटित हो रहे हो इसलिए, राज्य सरकार से यह आशा की जाती है कि वह अन्य सभी प्रकरण जिसमें इस तरह की कमी / अनियमितता की संभावना हो, समीक्षा करे एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करें ।

## 8.6 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़क के निर्माण पर निष्फल व्यय

लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत *रामगढ़ पचवारा से कंवरपुरा* सड़क पर गलत चैनेज में फ्लश कॉजवे का निर्माण कर ₹ 1.22 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सड़क का 800 मीटर हिस्सा बरसात के दौरान बह गया।

पर्यावरण अभ्यास संहिता (Environmental code of practice) साथ में पर्यावरण प्रबंधन फ्रेमवर्क जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (National Rural Development Agency; NRRDA) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये है, उन सभी तथ्यों का विवरण करते है जिन्हें परियोजना तैयार करते समय ध्यान रखा जाये जिससे कि परियोजना डिजाईन के संशोधन एवं शमन उपायों के माध्यम से पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं से बचा जा सके। यह संरेखण को अंतिम रूप देने से पहले बाढ़ प्रवृत क्षेत्रों एवं या बहुत अधिक ढ़लान वाले क्षेत्रों में हाइड्रोलॉजिकल सर्वे की आवश्यकता पर जोर देता है। इन सर्वेक्षणों से निकाले गये परिणाम जैसे पुलिया/पुलों की आवश्यकता के प्रावधान या अन्य पार/सड़क किनारे की नालियों की संरचनाओं पर संरेखण को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाना चाहिए।

मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोनिवि ने दिशानिर्देश (जुलाई 2012) जारी किए कि बांध/जल निकायों के जलग्रहण क्षेत्र में सड़क/भवन निर्माण से पूर्व जल संसाधन विभाग/राजस्व विभाग की पूर्व अनुमति लेने का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए क्योंकि जलग्रहण क्षेत्र में सड़क एवं भवन का निर्माण से जल के मुक्त प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

दौसा जिले में विश्व बैंक की सहायता से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत तीन अन्य सड़कों के साथ *रामगढ़ पचवारा से कंवरपुरा* सड़क निर्माण के लिए लागत मूल्य ₹ 1.15 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की (जून 2012)।

चार सड़कों के पैकेज के लिए ₹ 3.28 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति जारी की (जुलाई 2012)। मुख्य अभियंता, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, राजस्थान ने ₹ 3.99 करोड़ का कार्य स्वीकृत किया (जनवरी 2013)। लोनिवि खण्ड, दौसा ने कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की प्रस्तावित तारीख क्रमशः 18/02/2013 एवं 17/12/2013 के लिए कार्यादेश (फरवरी 2013) जारी किया। संवेदक को अंतिम लेखा बिल के द्वारा ₹ 3.14 करोड़ का भुगतान किया गया (सितम्बर 2014)।

लोनिवि खण्ड दौसा के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2018) के दौरान यह पाया गया कि नवनिर्मित सड़क जिसमें सीमेंट कंक्रीट रोड़, फ्लश कॉजवे हेतु एवं अर्थवर्क शामिल था, अगस्त 2014 में हुई बारिश के कारण 800 मीटर क्षेत्र में बह गई। सड़कों के क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत के लिए लोनिवि, खण्ड दौसा से ₹ 1.00 करोड़ का अतिरिक्त अनुमान प्राप्त होने पर वृत दौसा ने संवेदक से सड़क की क्षति को मरम्मत करने के लिए कहा (दिसम्बर 2015) क्योंकि सड़क क्षति उत्तर दायित्व अवधि के अन्तर्गत थी। संवेदक ने सूचित किया (सितम्बर 2015) कि चैनेज 1650 से 2150 नदी क्षेत्र में होने के कारण एवं खण्ड के दिशानिर्देशानुसार इस चैनेज में कोई भी क्रास ड्रैनेज कार्य किये बिना सड़क निर्माण पूर्व में ही पूर्ण कर लिया गया था, क्षतियों की मरम्मत करने से मना कर दिया क्योंकि अतिरिक्त प्रस्ताव में शामिल मद वास्तविक प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था।

लेखापरीक्षा में आगे यह पाया कि इस सड़क की हाइड्रोलॉजिकल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, चैनेज 1650 से 2050 नदी क्षेत्र में थी एवं बरसात के पानी के लिए क्रॉस ड्रेनेज / फ्लश कॉजवे के उचित व्यवस्था की आवश्यकता थी । यह भी पाया गया कि इस सड़क के रेस्विक चार्ट में चैनेज 1700 से 1900 के मध्य में एक फ्लश कॉजवे एवं एक ह्यूम पाइप कलवर्ट (HPC) के प्रस्ताव को शामिल करना था जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में था । सड़क की क्षति रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि यद्यपि चैनेज 1650 से 2050 नदी की धारा क्षेत्र में था लेकिन फ्लश कॉजवे 2150 से 2168 चैनेज पर कार्यान्वित किया गया । हाइड्रोलोजिकल सर्वे एवं तकनीकी अनुमान से प्राप्त डेटा को नही मानने के कारण नवनिर्मित सड़क (चैनेज 1643 से 2168) बारिश के दौरान बह गई एवं जिसके कारण ₹ 1.22 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ एवं लक्षित आबादी के बीच सम्पर्क नहीं हो पाया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (अगस्त 2018) पर खण्ड ने कहा कि इस तथ्य के बावजूद भी कि सड़क की क्षति अगस्त 2014 से 2016 के मध्य हुई है, सड़क चलायमान थी क्योंकि संवेदक ने क्षति की मरम्मत की एवं लोग लाभान्वित हुए । खण्ड ने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान हाइड्रोलॉजिकल सर्वे एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की सावधानी से पालना की गई ।

प्रकरण को राज्य सरकार की टिप्पणी हेतु प्रेषित किया गया (फरवरी 2019) । विभाग ने अपने उत्तर में कहा (अप्रैल 2019) किः

- फ्लश कॉजवे और सुरक्षा दीवार का कार्य चैनेज के 1700 और 1900 के मध्य किया गया एवं एल आकार की नाली व साइफन का निर्माण नहीं किया गया क्योंकि स्वीकृत अनुमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था । दिनांक 09/08/2014 एवं 11/08/2014 को हुई भारी बारिश के कारण वर्षा जनित जलधारा ने चैनेज 1600 से 2100 में इसके रास्ते को परिवर्तित कर दिया एवं इस चैनेज में निर्मित सड़क व कॉजवे बह गई ।
- राज्य तकनीकी सलाहकार द्वारा स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार चैनेज 2150 से 2168 पर छोटी बरसाती नाले पर दूसरे कॉजवे का निर्माण किया गया ।
- सड़क/बांध के बहाव क्षेत्र में भवन/जल निकायों के निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग / राजस्व विभाग की पूर्व अनुमति के संदर्भ में विभाग ने कहा कि यह एक वर्षा जनित जलधारा है, जल का निरन्तर बहाव क्षेत्र नहीं है । अतः सम्बन्धित अधिकारियों की अनुमति नहीं ली गई क्योंकि यह सड़क एक ग्रामीण सड़क थी ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकिः

- क्षति रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि चैनेज 2150 से 2168 में केवल एक फ्लश कॉजवे का निर्माण किया गया था । चैनेज 1700 और 1900 के मध्य फ्लश कॉजवे के निर्माण / क्षति का विवरण दस्तावेजों में नही पाया गया । इसके अलावा, रैस्विक चार्ट चैनेज 1700 से 1900 में एक फ्लश कॉजवे व एक ह्यूम पाइप कलवर्ट (एचपीसी) के प्रावधान को दर्शाता है न कि चैनेज 2150 से 2168 में फ्लश कॉजवे के प्रावधान को । संवेदक द्वारा चैनेज 1600 से 2100 के मध्य मरम्मत कार्य रोकने से मना करना भी यह पुष्टि करता है कि सड़क का निर्माण बिना किसी क्रॉस ड्रेनेज कार्य के किया गया । रैस्विक चार्ट जो कि जवाब के के साथ प्रस्तुत किया गया (फरवरी 2019) वह लेखापरीक्षा द्वारा क्षेत्र दौरे के दौरान प्राप्त किया गया उससे भिन्न था क्योंकि अभी प्रस्तुत किया गया चार्ट फ्लश कॉजवे के लिए अंकन नहीं रखता । शब्द फ्लश

कॉजवे कलम द्वारा लिखा गया है जबकि मूल चार्ट में फ्लश कॉजवे और एचपीसी को एक आरेखीय तरीके से उचित रूप से अंकित किया गया है जैसा कि सामान्यतया होता है ।

- हाइड्रोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट के अनुसार चैनेज 1600 से 2100 बरसात जनित नाला क्षेत्र में थी अतः जल संसाधन विभाग/राजस्व विभाग की पूर्व अनुमति आवश्यक थी । इसके अलावा, पहले से निर्मित सड़क पर क्रॉस ड्रेनेज के लिए ₹ 1.00 करोड़ का अतिरिक्त प्रस्ताव लेखापरीक्षा आक्षेप की पुष्टि करता है कि पर्यावरण अभ्यास संहिता में वर्णित मापदंडों को ध्यान में रखे बिना प्रारंभिक तकनीकी अनुमान तैयार किया गया ।

- राज्य सरकार ने कहा है कि पाँच वर्ष पश्चात् भी सड़क का बाकी हिस्सा सुरक्षित था एवं गुणवत्ता भी उत्तम थी । यह सिद्ध करता है कि नदी धारा क्षेत्र में किया गया कार्य उचित नही था एवं बिना क्रॉस ड्रेनेज वर्क एवं फ्लश कॉजवे के किया गया जिसके कारण सड़क को भारी क्षति हुई ।

इस प्रकार पर्यावरण अभ्यास संहिता दिशानिर्देशों की पालना में विफलता के कारण अलाभकारी व्यय हुआ ।

राज्य सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया (जुलाई 2019) एवं कहा कि चैनेज 1/700 से 1/900 में एचपीसी के प्रावधान होने के बावजूद एचपीसी का निर्माण नही करने के कारण अभिलेखों में मौजूद नहीं थे । दो फ्लश कॉजवे जिनके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में सटीक चैनेज वर्णित नहीं थी, क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार चैनेज 2/082 से 2/165 एवं चैनेज 2/869 से 2/931 पर निर्माण किया गया । त्रुटि करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रस्तावित है ।

## 8.7 संवेदक को अग्रिम भुगतान

लोक निर्माण विभाग ने लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों का उल्लंघन करते हुए संवेदक को कार्य आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंतर्गत ही ₹ 0.78 करोड़ का भुगतान कर दिया । यद्यपि कार्यादेश जारी होने के एक वर्ष पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया गया ।

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के खण्ड 1 का नियम 434 यह उल्लेख करता है कि नियम के रूप में संवेदक को अग्रिम भुगतान करना निषेध है एवं एक ऐसी प्रणाली विकसित किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत वास्तविक किये गये कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान न किया जावे ।

उम्मेद हॉस्पिटल, चिकित्सा कॉलेज, जोधपुर में नई ओपीडी सह आपातकालीन संभाग बनवाने के लिए ₹ 2.84 करोड का कार्य लोनिवि, मेडिकल खण्ड जोधपुर द्वारा कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने की तारीख क्रमशः 17/03/2013 और 16/03/2014 के साथ स्वीकृत किया गया (मार्च 2013) । संवेदक को फरवरी 2017 तक किये गये कार्य के लिए ₹ 2.44 करोड का भुगतान किया गया । कार्य पूर्ण नही किया गया (मई 2019) ।

खण्ड के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा (जून 2016) के दौरान यह ज्ञात हुआ कि खण्ड द्वारा संवेदक को आरसीसी कार्य को गढ़ने एवं सुदृढीकरण हेतु ₹ 78.30 लाख[41] का भुगतान किया गया (मार्च 2013) । लेखापरीक्षा ने यह पाया कि विपत्र के अनुसार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की VIZAG ब्रांड की स्टील की खरीद 06/03/2013 से 09/03/2013 के मध्य की गई थी, जबकि जांच रिपोर्ट (09/03/2013) प्रदर्शित करती है कि स्टील की खरीद भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) से की गई । मार्च 2014 में पुनः जांच की गई जिसकी रिपोर्ट यह प्रदर्शित करती है कि स्टील VIZAG ब्रांड की थी । यह पाया गया कि स्टील के वजन के अलावा कोई भी अन्य सिविल कार्य जैसे सुदृढिकरण कार्य नही किया गया जो कि माप पुस्तिका में दिनांक 11/03/2013 की प्रविष्टि के अनुसार मापा गया था । साइट क्लीयरेंस का मापन एवं सतह समतलीकरण से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ 25/08/2013 को की गईं । ये तथ्य यह सिद्ध करते हैं कि संवेदक द्वारा सुदृढीकरण कार्य अगस्त 2013 तक नहीं किया गया । यद्यपि इसके लिए मार्च 2013 में ₹ 78.30 लाख का भुगतान किया गया ।

अभिलेखों की पुनः संवीक्षा करने पर यह विदित हुआ कि आरसीसी कार्य हेतु खरीदे गए स्टील का उपयोग मार्च 2014 और नवम्बर 2015 के मध्य किया गया था जो कि संवेदक को सुदृढीकरण कार्य के लिए किये गये भुगतान से 12 से 30 माह पश्चात् किया गया था । यद्यपि संवेदक को किए गए भुगतान को बाद के चल विपत्रों से समायोजित कर लिया गया, तब भी संवेदक को अग्रिम भुगतान करना लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों का उल्लंघन था । इसके अलावा, स्टील को उसके खरीद से एक वर्ष से अधिक समय के पश्चात् उपयोग करना भवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि समय के साथ स्टील इसकी जंग-रोधी क्षमता को खो देता है जिससे इसकी गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है ।

राज्य सरकार ने इसके जवाब में कहा (मई 2019) कि आरसीसी कार्य के लिए सुदृढीकरण एवं गढ़ाई कार्य में सरिया को सीधा करना, काटना, मोड़ना, जोड़ना शामिल है जिसमें बहुत समय और मजदूरी लगती है अतः कार्यादेश होने के तुरंत बाद ही संवेदक ने अर्थ वर्क प्रारम्भ कर दिया एवं इसके लिए आवश्यक 128.215 मीट्रिक टन स्टील की खरीद की । इसी बीच विभाग ने साइट परिवर्तन कर लिया एवं जब तक नई साइट को अंतिम रूप (अगस्त 2013) दिया गया तब तक कार्य रोक दिया गया । इसके अलावा, पक्षकार विभाग ने भूगर्भ पार्किंग के लिए अनुरोध किया, जो कि मूल स्वीकृति के दायरे में शामिल नहीं थी, जिसके कारण परियोजना की लागत में वृद्धि हुई परिणामस्वरूप कार्य अपूर्ण रह गया । संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिसके लिए ₹ 6.86 करोड़ का संशोधित अनुमान भेजा गया था, के प्राप्त होने के बाद ही कार्य पूर्ण किया जा सकता था । भवन के निर्मित भाग को पक्षकार विभाग द्वारा काम में लिया जा सकता है ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह लेखापरीक्षा आक्षेप के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है कि लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम का उल्लंघन करते हुए अग्रिम भुगतान किया जाए । प्रथम चल बिल एवं माप पुस्तिका से विदित होता है कि मद के प्रारम्भ एवं पूर्ण होने की वास्तविक तारीख 11/03/2013 थी और मदों का पूर्ण होना जो कि राज्य सरकार के उत्तर कि मद सुदृढिकरण एवं गढ़ाई के लिए अधिक समय व मजदूरी की आवश्यकता है, के विपरीत है । इस प्रकार

[41] स्टील 124925.76 किलोग्राम X ₹ 60/- प्रति किलोग्राम ₹ 7829847/- (₹ 7495546 + टीपी @ 4.46 प्रतिशत ₹ 334301/-)

128.215 मीट्रिक टन स्टील सरिया को सीधा करना, काटना, मोड़ना, जोड़ने का कार्य एक दिन में होने से सम्बन्धित राज्य सरकार का उत्तर अकल्पनीय है ।

इसके अलावा, राज्य सरकार के उत्तर से यह विदित होता है कि कार्य समाप्ति की प्रस्तावित दिनांक के 60 माह पश्चात् भी भवन का कार्य पूर्ण होना बाकी था (जनवरी 2020) एवं अब तक किया गया व्यय बेकार रहा । कार्य में अनावश्यक देरी का यह तथ्य राजस्थान सरकार के सीएजी के 2019 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 के अनुच्छेद संख्या 3.5 में शामिल किया जा चुका है ।

**(अतूर्वा सिन्हा)**
**महालेखाकार**
**(लेखापरीक्षा-II), राजस्थान**

**जयपुर**
**दिनांक 24 जुलाई 2020**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**(राजीव महर्षि)**
**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

**नई दिल्ली**
**दिनांक 27 जुलाई 2020**